[2010] 11 एस.सी.आर 38

एम. चंद्र

बनाम

एम. थंगमुथु और एक अन्य

(2008 का दीवानी अपील सं. 7284)

07 सितंबर 2010

[डी.के. जैन और एच.एल. दत्तू, न्यायमूर्तिगण]

निर्वाचन विधियाँ: *अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर निर्वाचन – इस आधार पर चुनौती दी गई कि निर्वाचित अभ्यर्थी ईसाई थी और हिन्दू पल्लन समुदाय से संबंधित नहीं थी – उच्च न्यायालय द्वारा निर्वाचित अभ्यर्थी पर यह सिद्ध करने का भार डालना कि उसने ईसाई धर्म का परित्याग कर दिया था और हिन्दू धर्म का पालन कर रही थी; तथा यह धारित करना कि निर्वाचित अभ्यर्थी उस पर डाले गए भार का निर्वहन करने में विफल रही, इसलिए निर्वाचन शून्य है – औचित्य – अभिनिर्धारित: निर्वाचन याचिका में, निर्वाचित अभ्यर्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने का भार निर्वाचन याचिकाकर्ता पर होता है – उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य का भार निर्वाचित अभ्यर्थी पर स्थानांतरित करना त्रुटिपूर्ण था – निर्वाचन याचिकाकर्ता, निर्वाचित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का खंडन करने में विफल रहा – जन्म अभिलेख, दूरभाष आवेदन में प्रविष्टियाँ तथा मतदाता सूची में प्रविष्टियाँ यह सिद्ध करने के लिए प्रासंगिक नहीं थीं कि निर्वाचित अभ्यर्थी ईसाई धर्म का पालन करती थी – यद्यपि निर्वाचित अभ्यर्थी ने मूल धर्म-परिवर्तन प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया, तथापि उसके द्वारा प्रस्तुत द्वितीय प्रति पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि याचिकाकर्ता निर्वाचित अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष को सिद्ध करने हेतु प्रस्तुत साक्ष्य का युक्तियुक्त प्रतिवाद प्रस्तुत करने में विफल रहा – ऐसा प्रदर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं था कि समुदाय प्रमाणपत्र अवैध रूप से अथवा विधिसम्मत प्रक्रिया के प्रतिकूल जारी किया गया था –*

निर्वाचन याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य परस्पर विरोधी था तथा उससे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की गंध आती थी – उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त किया गया – संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 – भारत का संविधान, 1950 – अनुच्छेद 341 – साक्ष्य – सिद्ध करने का भार।

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950:

कंडिका 2 और 3 - एक धर्म का 'प्रचार' करते हैं- निर्णय: यदि किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक घोषणा की जाती है कि वह अपने पुराने धर्म से संबंधित नहीं है और उसने दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया है, तो उसे दूसरे धर्म का पालन करने वाला माना जाएगा- राष्ट्रपति के आदेश के तहत आरक्षण के लाभ का दावा करने के लिए, एक व्यक्ति को यह स्थापित करना चाहिए कि जिस जाति से वह संबंधित है, वह राष्ट्रपति के आदेश में अधिसूचित है और वह एक अलग धर्म का पालन नहीं कर रहा है- भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 341।

धर्म परिवर्तन — निर्णय: एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन को सिद्ध करने के लिए दो तत्वों का पूरा होना आवश्यक है, अर्थात् धर्मांतरण होना तथा उस समुदाय द्वारा स्वीकार किया जाना, जिसमें व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन किया है — साक्ष्य।

प्रमाणः द्वितीयक साक्ष्य-एक पक्ष जो चाहता है दस्तावेज़ की सामग्री पर भरोसा करने के लिए सामग्री का प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा, और केवल अपवादात्मक मामलों में ही गौण साक्ष्य स्वीकार्य होगा- हालाँकि, यदि द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार्य है, इसे किसी भी रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जिसमें यह उपलब्ध हो, चाहे एक प्रति के उत्पादन द्वारा, एक प्रति की डुप्लिकेट प्रति, सामग्री के मौखिक साक्ष्य द्वारा या किसी अन्य रूप में-द्वितीयक साक्ष्य को मूलभूत साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए कि कथित प्रतिलिपि वास्तव में मूल की एक वास्तविक प्रतिलिपि है-- प्राथमिक साक्ष्य की आवश्यकता वाले नियम के अपवादों को ऐसे मामले में अनुतोष प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जहां एक

पक्ष वास्तव में उस पक्ष की गलती के बिना मूल प्रस्तुत करने में असमर्थ है-चुनाव कानून।

अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित एक सीट पर विधान सभा के चुनाव में अपीलकर्ता को निर्वाचित घोषित किया गया था। चुनाव याचिकाकर्ता-उत्तरदाता सं. 1 ने उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर अपीलकर्ता के निर्वाचन को चुनौती दी कि अपीलकर्ता ईसाई पल्लन समुदाय से संबंधित थी और उसने अपने नामांकन पत्रों में अपनी सामुदायिक स्थिति तथा विद्यालयी शिक्षा के संबंध में झूठी घोषणाएँ की थीं। उच्च न्यायालय ने यह भार अपीलकर्ता पर डाल दिया कि वह यह सिद्ध करे कि उसने ईसाई धर्म का त्याग कर दिया था और यह माना कि अपीलकर्ता उस पर डाले गए प्रमाण के भार का संतोषजनक रूप से निर्वहन नहीं कर सकी। उसने इस आधार पर अपीलकर्ता के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया कि जिन परिस्थितियों में समुदाय प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था, वे अत्यंत संदेहास्पद थीं, क्योंकि आवेदन प्राप्त होने के दो दिनों के भीतर ही वह जारी कर दिया गया था। आगे यह भी कहा गया कि अपीलकर्ता द्वारा मूल धर्मांतरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया और केवल उसकी प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई, अतः उसके धर्म परिवर्तन के दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

तत्काल अपील में, इसके लिए तर्क दिया गया था कि अपीलकर्ता के पिता एक ईसाई थे, लेकिन, उसकी माँ अपने पिता से अलग हो गई और कभी ईसाई धर्म का पालन नहीं किया और हिंदू धर्म का पालन करना जारी रखा और अपीलकर्ता का पालन-पोषण एक हिंदू के रूप में किया गया था; और उसने आर्य में हिंदू धर्म में परिवर्तन के लिए 1994 में समाज मंदिर में अनुष्ठान किए थे, और एक धर्मांतरण प्रमाण पत्र जारी किया गया था और उसके चाचा द्वारा एकत्र किया गया था जो, हालांकि, खो गया था और इसलिए, एक डुप्लिकेट प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था और प्रस्तुत किया गया था।

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

निर्णय: 1. "अनुसूचित जातियों का अर्थ है ऐसी जातियाँ, जातियाँ या जनजातियाँ या ऐसी

जातियों, एफ जातियों या जनजातियों के कुछ भाग या समूह जिन्हें संविधान के उद्देश्य के लिए अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जाति माना जाता है। उक्त प्रावधान के तहत संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 में जारी किया गया था। यह भारत के प्रत्येक राज्य में जाति, नस्ल और जनजातियों को निर्धारित करता है और कंडिका 2 के तहत प्रावधान करता है कि संविधान के उद्देश्य से उसमें निर्दिष्ट किसी भी जाति से संबंधित व्यक्ति को अनुसूचित जाति माना जाएगा। कंडिका 3 में इस आशय का एक प्रावधान है कि कंडिका 2 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से अलग धर्म का पालन करता है, उसे अनुसूचित जाति का सदस्य। राष्ट्रपति के आदेश के कंडिका 2 और 3 को पढ़ने से पता चलेगा कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के आदेश की अनुसूची में अधिसूचित जाति से संबंधित है, उसे अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त होगा, बशर्ते वह हिंदू धर्म या आदेश के कंडिका 3 में निर्दिष्ट अन्य धर्मों में से किसी एक का पालन करता हो। यह विवाद में नहीं है कि हिंदू पल्लन समुदाय को राष्ट्रपति के आदेश के तहत अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। [कंडिका 15,17,21] [59-एफ; 60-एच; 61-ए-सी; 63-डी]

पंजाब राव बनाम डी.पी. मेश राम और अन्य (1965) 1 एसएलआर. 849, पर निर्भर।

पेरुमल नादर बनाम पोन्नुस्वामी (1970) 1 एस.सी.सी. 605; *गंगापाल बनाम पीठासीन पदाधिकारी* (1975) 1 एस.सी.सी. 589; *चंद्र शेखर राव बनाम बनाम जगपति राव* 1993 अनुपूरक (2) एस.सी.सी. 229; *हरिकृष्णा लाल बनाम बाबूलाल मरांडी* (2003) 8 एस.सी. सी. 613; *रज़ीक राम बनाम जसवंत सिंह* (1975) 4 एससीसी 769; *गजानन कृष्णाजी बापट बनाम दत्ताजी राघोबाजी मेघा* (1995) 5 एस.सी.सी. 347; *रेगु महेश बनाम राजेंद्र प्रताप भानी देव* (2004) 1 एस.सी.सी. 46; *जीत मोहिंदर बनाम हरमिंदर सिंह* (1999) 9 एस.सी. सी. 386; *रघुनाथ और अन्य बनाम राजू रामप्पा शेट्टी* (1991) अनुपूरक (2) एस.सी.सी. 267; *स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम आंध्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और अन्य* (2006) 6 एस.सी.सी. 94; *दुग्गी वीरा वेंकट गोपाल सत्यनारायण बनाम सकल वीरा*

राघवैया और अन्य **(1987) 1 एस.सी.सी. 254;** *श्री वेंकटरमण देवरू और अन्य अन्य बनाम मैसूर राज्य और अन्य* **ए.आई.आर 1958 एस. सी. 255;** *गजानन कृष्णाजी बापट और एक अन्य बनाम दत्ताजी राघोबाजी मेघे और अन्य* **(1995) 5 एस.सी.सी. 347;** *अबुबकर अब्दुल इनामदार (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि और अन्य बनाम हारून अब्दुल इनामदार और अन्य* **एआईआर 1996 एससी 112;** *गुलाबराव बलवंतराव शिंदे औरअन्य बनाम छबूबाई बलवंतराव शिंदे औरअन्य* **(2003) 1 एससीसी 212;** *बोंदर सिंह जी. औरअन्य बनाम निहाल सिंह औरअन्य* **(2003) 4 एससीसी 161;** *एस. स्विगरादोस बनाम क्षेत्रीय प्रबंधक, एफ.सी.आई.* **(1996) 3 एससीसी 100;** *पंजाबराव बनाम डी.पी. मेश्राम* **(1965) 1 एससीआर 849;** *करवड़े बनाम शंभाकर* **एआईआर 1958 बॉम्बे 296;** *कोथापल्ली नरसैय्या बनाम जाम्माना जोगी* **एआईआर 1976 एससी 937;** *एस. अन्बलगन बनाम बी. देवराजन और अन्य* **(1984) 2 एससीसी 112;** *सी.एम. अरुमुगम बनाम एस. राजगोपाल और अन्य* **(1976) 1 एससीसी 863 — संदर्भित।**

2. किसी व्यक्ति की आस्था की घोषणा का अर्थ अनिवार्य रूप से ऐसी घोषणा होना है जिससे उन लोगों को उसका ज्ञान हो सके जिनके लिए वह प्रासंगिक है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करता है कि उसने अपने पुराने धर्म से संबंध समाप्त कर लिया है और किसी अन्य धर्म को स्वीकार कर लिया है, तो उसे उस अन्य धर्म का पालन करने वाला माना जाएगा। ऐसी खुली घोषणा के रहते यह पूछताछ करना निरर्थक होगा कि दूसरे धर्म में किया गया धर्मांतरण प्रभावी था या नहीं। राष्ट्रपति आदेश में प्रयुक्त शब्द "पालन करना" का प्रयोग ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी व्यक्ति द्वारा हिंदू (या सिख) धर्म की खुली घोषणा या आचरण के अर्थ में किया गया है। अतः जहाँ कोई व्यक्ति इसके विपरीत यह कहता है कि वह अब हिंदू नहीं रहा है, वहाँ वह उस आदेश के अंतर्गत किसी भी लाभ का दावा नहीं कर सकता। राष्ट्रपति आदेश के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को यह स्थापित करना आवश्यक है कि वह जिस जाति से संबंधित है वह राष्ट्रपति

आदेश में अधिसूचित है और वह हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से भिन्न किसी अन्य धर्म का पालन नहीं करता है। [कंडिका 19, 20] [62-एफ; 63-ए-सी]

3. हिंदू धर्म कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें एक ही ईश्वर या एक ही पवित्र ग्रंथ हो। हिंदुओं की प्रथाएँ क्षेत्र से क्षेत्र और स्थान से स्थान के अनुसार भिन्न होती हैं। जिन देवताओं की पूजा की जाती है, रीति-रिवाज, परंपराएँ, आचरण, अनुष्ठान आदि सभी अलग-अलग होते हैं, फिर भी ये सभी लोग हिंदू ही होते हैं। किसी व्यक्ति की धार्मिक स्वीकृति का निर्धारण उसके नाम या जन्म के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति हिंदू धर्म को मानने का इरादा करता है, तो वह उस क्षेत्र की हिंदू प्रथाओं या उस जाति की परंपराओं के अनुसार आवश्यक आचरण करता है जिससे वह संबंधित है, और उसके आसपास के सभी लोग उसे हिंदू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन को सिद्ध करने के लिए दो तत्वों का पूरा होना आवश्यक है—पहला, धर्मांतरण का होना और दूसरा, उस समुदाय द्वारा स्वीकृति जिसमें व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन किया है। अपीलकर्ता ने न केवल अपने कथनों में बल्कि अपने साक्ष्य में भी यह कहा कि उसके पिता का उसकी माता से पृथक्करण हो गया था और उसकी माता हिंदू धर्म का पालन करती रही तथा हिंदू पल्लन समुदाय ने उसे उसी रूप में स्वीकार किया। इसके समर्थन में प्रस्तुत कथनों और साक्ष्यों को संयुक्त रूप से पढ़ा जाना आवश्यक था। जब चुनाव याचिका भ्रष्टाचार, किसी विशेष धर्म के आधार पर लोगों को भड़काने जैसे आधारों पर दायर की जाती है, तब अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता नहीं होती। पक्षकारों के बीच विवाद का निर्णय करते समय उच्च न्यायालय ने प्रमाण का भार अपीलकर्ता पर डाल दिया कि वह यह सिद्ध करे कि वह ईसाई नहीं है बल्कि हिंदू आस्था का पालन करने वाली है और समुदाय ने उसे हिंदू पल्लन समुदाय से संबंधित व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया है। उच्च न्यायालय का यह तर्क स्थापित विधिक सिद्धांतों के विपरीत है। चुनाव याचिका में प्रमाण का भार उस व्यक्ति पर होता है जो यह आरोप लगाता है कि बहुसंख्यक मतदाताओं का समर्थन

प्राप्त करने वाला निर्वाचित व्यक्ति भी उन्हें विधान सभा में प्रतिनिधित्व करने के योग्य नहीं है। वर्तमान प्रकरण में चुनाव याचिकाकर्ता, अपीलकर्ता और उसके साक्षियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का खंडन करने हेतु कोई स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। अतः माता-पिता संबंधी प्रश्न, जिसे इस बात के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया कि अपीलकर्ता ईसाई है और ईसाई के रूप में पली-बढ़ी है, स्वीकार नहीं किया जा सकता। [कंडिका 27,28,29,35,47] [69-डी-एच; 70-ए-बी; 74-एफ बी-एफ; 81-डी-एच; 82-ए-एफ]

कैलाश सोनकर बनाम मायादेवी (1984) 2 एस.सी.सी. 91; गणपति बनाम पीठासीन पदाधिकारी (1975) 1 एस. सी. सी. 589, पर अवलंबित।

4. विद्यालय अभिलेख में जिस विसंगति की ओर चुनाव याचिकाकर्ता ने संकेत किया था, उसका अपीलकर्ता द्वारा समुचित स्पष्टीकरण दिया गया था और मात्र इसी आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि अपीलकर्ता आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थी। जहाँ तक अपीलकर्ता को समुदाय प्रमाणपत्र जारी किए जाने का प्रश्न है, तहसीलदार के रूप में कार्यरत अभियोजन साक्षी 6 के साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि समुदाय प्रमाणपत्र जारी करते समय विधि द्वारा निर्धारित समुचित प्रक्रिया का पालन किया गया था। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत समुदाय प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता पर संदेह करते हुए अभियोजन साक्षी6 के साक्ष्य का उचित मूल्यांकन नहीं किया। जन्म अभिलेखों, दूरभाष आवेदन में की गई प्रविष्टियों तथा मतदाता सूची पर किया गया भरोसा, यह सिद्ध करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता कि अपीलकर्ता ईसाई धर्म का पालन कर रही है। [कंडिका 48, 49, 50] [83-जी-एच; 84-ए-बी; एफ]

कुमारी मधुरी पाटिल औरअन्य बनाम अपर आयुक्त, जनजातीय विकास और अन्य (1994) 6 एससीसी 241; *महाप्रबंधक, इंडियन बैंक बनाम आर. रानी और एक अन्य* (2007) 12 एससीसी 796; *आर. पलनिमुथु बनाम पीठासीन पदाधिकारी औरअन्य* (1984) परिशिष्ट एससीसी 77; *जॉन वालियामट्टोम औरअन्य बनाम भारत संघ* (2003) 6 एससीसी

611; *मीरा कंवरिया बनाम सुनीता औरअन्य* (2006) 1 एससीसी 344; देश राज बनाम बोध राज *(2008) 2 एससीसी 186 — विशिष्ट।*

5. यह सत्य है कि जो पक्ष किसी दस्तावेज़ की विषयवस्तु पर निर्भर करना चाहता है, उसे उसकी विषयवस्तु का प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए, और केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में ही द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार्य होता है। तथापि, यदि द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार्य है, तो उसे जिस भी रूप में उपलब्ध हो, उस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वह प्रति प्रस्तुत करके हो, प्रति की प्रतिलिपि द्वारा हो, विषयवस्तु के संबंध में मौखिक साक्ष्य द्वारा हो या किसी अन्य रूप में हो। द्वितीयक साक्ष्य को आधारभूत साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि कथित प्रति वास्तव में मूल की सत्य प्रति है। प्राथमिक साक्ष्य की आवश्यकता वाले नियम के अपवाद इस उद्देश्य से बनाए गए हैं कि जहाँ कोई पक्ष अपनी किसी त्रुटि के बिना मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में वास्तविक रूप से असमर्थ हो, वहाँ उसे अनुतोष प्रदान की जा सके। वर्तमान प्रकरण में अपीलकर्ता का यह स्पष्ट मामला था कि वर्ष 1994 में, अर्थात् वर्ष 2006 में हुए विधान सभा चुनावों से बहुत पहले, उसने केवल हिंदू आस्था की पुनः पुष्टि के उद्देश्य से आर्य समाज में सभी अनुष्ठान किए थे और आर्य समाज द्वारा जारी धर्मांतरण प्रमाणपत्र उसके चाचा द्वारा प्राप्त किया गया और स्वीकार किया गया था, जो उसके साथ गए थे। यह भी उसका स्पष्ट कथन था कि उसने वह प्रमाणपत्र अपने चाचा से वापस नहीं लिया, क्योंकि उसका विचार था कि उसे उसके प्रयोजन के लिए उसकी आवश्यकता नहीं होगी। केवल तब, जब चुनाव याचिका दायर की गई और हिंदू धर्म में अपनी आस्था की पुनः पुष्टि के अपने मामले को सिद्ध करने के लिए, उसे यह ज्ञात हुआ कि उसके चाचा ने वह प्रमाणपत्र खो दिया है, तब उसे आर्य समाज, मदुरै से धर्मांतरण प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि प्राप्त करनी पड़ी। उसके साक्ष्य के इस भाग को याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती तक नहीं दी गई। वास्तव में, दस्तावेज़ों की विषयवस्तु से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि अपीलकर्ता के अनुरोध पर, दूसरी बार यह प्रमाणपत्र जारी किया

गया था, जब उसके चाचा ने उसे यह बताया कि वर्ष 1994 में उसे प्राप्त मूल प्रमाणपत्र उससे खो गया है। धर्मांतरण प्रमाणपत्र के अवलोकन से यह पूर्णतः स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता ने आर्य समाज, मदुरै में धर्मांतरण के अनुष्ठान संपन्न कर हिंदू आस्था की पुनः पुष्टि के अपने दावे को सफलतापूर्वक सिद्ध किया है। [कंडिका 30] [71-ई-एच; 72-ए-ई]

सत्रुचर्ला विजय राम राजू बनाम निम्मका जया राजू और अन्य एआईआर 2006 एससी 543, विशिष्ट।

6.1. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि किसी चुनाव याचिका में उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को स्पष्ट और निर्विवाद रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिन पर याचिकाकर्ता विचारण के दौरान निर्भर करना चाहता है, तथा उसमें परिस्थितियों का एक स्पष्ट और पूर्ण चित्र प्रस्तुत होना चाहिए और एक निश्चित कारण-ए-दावा प्रकट होना चाहिए। उपर्युक्त के अभाव में, चुनाव याचिका को संक्षेप में निरस्त किया जा सकता है। किसी चुनाव परिणाम को निरस्त किए जाने के लिए, चुनाव की अवैधता सिद्ध करने हेतु सकारात्मक साक्ष्य का होना आवश्यक है। अतः प्रमाण का भार चुनाव याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता पर ही होता है। भ्रष्ट आचरण के आधार पर निर्वाचित प्रत्याशी के चुनाव को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका आपराधिक कार्यवाही नहीं होती; तथापि, न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण की दृष्टि से वह आपराधिक कार्यवाही से कम भी नहीं होती। यद्यपि वर्तमान प्रकरण में आरोप भ्रष्ट आचरण से संबंधित नहीं हैं, तथापि गंभीरता की दृष्टि से वे किसी भी प्रकार से कम नहीं हैं; इसलिए याचिकाकर्ता पर यह भार है कि वह अपने द्वारा लगाए गए आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करे। ऐसा इस उद्देश्य से किया जाता है कि निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता बनी रहे। [कंडिका 52,54,55] [85-जी-एच; 86-ए-बी; डी-जी]

जे. चंद्रशेखर राव बनाम वी. जगपति राव 1993 परिशिष्ट (2) एससीसी 229 — पर अवलंबित।

वी.एस. अच्युतानंदन बनाम पी.जे. फ्रांसिस (1999) 2 एससीआर 99 — संदर्भित।

6.2. चुनाव याचिकाकर्ता के साक्षियों की गवाही, साक्ष्य अधिनियम में निर्धारित कसौटी पर खरी नहीं उतरती, जिससे उसे स्वीकार्य साक्ष्य माना जा सके। वह किसी प्रकार का विश्वास उत्पन्न नहीं करती। प्रस्तुत साक्ष्य स्पष्ट रूप से श्रुतकथन मात्र है। उच्च न्यायालय की राय मुख्य रूप से इस तथ्य पर आधारित थी कि प्रमाण का भार अपीलकर्ता पर स्थानांतरित कर दिया गया कि वह यह सिद्ध करे कि उसने वास्तव में ईसाई धर्म का त्याग कर दिया था। उच्च न्यायालय का यह तर्क सही नहीं था। प्रमाण का भार पूर्णतः चुनाव याचिकाकर्ता पर था कि वह यह सिद्ध करे कि अपीलकर्ता वास्तव में ईसाई धर्म का आचरण और पालन कर रही थी। किसी भी स्थिति में, अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सुसंगत और विश्वसनीय था, क्योंकि वह उन व्यक्तियों की गवाही पर आधारित था जिन्होंने वास्तव में अपीलकर्ता के घर का दौरा किया था या उसकी शादी में उपस्थित रहे थे या उसके तथा उसके पति के परिवार के निकट संपर्क में रहे थे। यह मान भी लिया जाए कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाण का भार अपीलकर्ता पर डालना उचित था, तब भी उसने ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत कर उस भार का निर्वहन कर दिया था। उसकी गवाही उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ी साक्ष्य के अनुरूप थी। यद्यपि अपीलकर्ता ने मूल धर्मांतरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया, तथापि उसके द्वारा प्रस्तुत प्रतिलिपि पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि याचिकाकर्ता अपीलकर्ता द्वारा अपने पक्ष को सिद्ध करने हेतु प्रस्तुत साक्ष्य का तर्कसंगत खंडन करने में विफल रहा। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह सिद्ध हो कि समुदाय प्रमाणपत्र अवैध रूप से या वैध प्रक्रिया के उल्लंघन में जारी किया गया था। चुनाव याचिकाकर्ता को चाहिए था कि वह प्रमाणपत्र जारी किए जाने के समय संबंधित प्रभारी व्यक्ति का परीक्षण करता, जिससे प्रमाणपत्र जारी करने में किसी कथित अनियमितता को उजागर किया जा सके। समुदाय प्रमाणपत्र के जारी किए जाने की वैधता तब तक मानी जाती है जब तक कि उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा इसके विपरीत सिद्ध न कर दिया जाए, जिसे

वह स्पष्ट रूप से करने में असफल रहा। यह भी आश्चर्यजनक है कि आर्य समाज द्वारा जारी धर्मांतरण प्रमाणपत्र की विस्तार से जाँच उत्तरदाताओं द्वारा नहीं की गई, जबकि उच्च न्यायालय ने इस संबंध में कड़ी टिप्पणी की थी। यह दर्शाने के लिए कि प्रमाणपत्र कैसे जारी किया गया और कौन-सी प्रक्रिया अपनाई गई, न तो दस्तावेज़ी साक्ष्य और न ही मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत साक्ष्य परस्पर विरोधाभासी है और उससे और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के संकेत देते हैं। [कंडिका 56,57,58] [86-एच; 87-ए-एच; 88-ए-डी]

निर्णयज विधि संदर्भः

(1965) 1 एसएलआर 849	पर अवलंबित	कंडिका 8
(1970) 1 एससीसी 605	संदर्भित	कंडिका 8
(1975) 1 एससीसी 589	संदर्भित	कंडिका 8
1993 परिशिष्ट (2) एससीसी 229	संदर्भित	कंडिका 9
(2003) 8 एससीसी 613	संदर्भित	कंडिका 9
(1975) 4 एससीसी 769	संदर्भित	कंडिका 9
(1995) 5 एससीसी 347	संदर्भित	कंडिका 9
(2004) 1 एससीसी 46	संदर्भित	कंडिका 9
(1999) 9 एससीसी 386	संदर्भित	कंडिका 9
(1991) परिशिष्ट (2) एससीसी 267	संदर्भित	कंडिका 10
(2006) 6 एससीसी 94	संदर्भित	कंडिका 10
(1987) 1 एससीसी 254	संदर्भित	कंडिका 11
एआईआर 1958 एससी 255	संदर्भित	कंडिका 11
(1995) 5 एससीसी 347	संदर्भित	कंडिका 11
एआईआर 1996 एससी 112	संदर्भित	कंडिका 11
(2003) 1 एससीसी 212	संदर्भित	कंडिका 11

(2003) 4 एससीसी 161	संदर्भित	कंडिका 11
1975(1) एससीसी 589	संदर्भित	कंडिका 13
(1996) 3 एससीसी 100	संदर्भित	कंडिका 16
(1965) 1 एससीआर 849	संदर्भित	कंडिका 18
एआईआर 1958 बॉम्बे 296	संदर्भित	कंडिका 19
1970(1) एससीसी 605	संदर्भित	कंडिका 21
(1975) 1 एससीसी 589	संदर्भित	कंडिका 22
एआईआर 1976 एससी 937	संदर्भित	कंडिका 23
(1984) 2 एससीसी 112	संदर्भित	कंडिका 24
(1984) 2 एससीसी 91	संदर्भित	कंडिका 25
(1976) 1 एससीसी 863	संदर्भित	कंडिका 26
(1970) 1 एससीसी 605	संदर्भित	कंडिका 30
एआईआर 2006 एससी 543	प्रतिष्ठित	कंडिका 31
(1984) 2 एससीसी 91	पर अवलंबित	कंडिका 47
(1994) 6 एससीसी 241	प्रतिष्ठित	कंडिका 49
(2001) 12 एससीसी 796	प्रतिष्ठित	कंडिका 49
(1984) परिशिष्ट एससीसी 77	प्रतिष्ठित	कंडिका 49
(2003) 6 एससीसी 611	प्रतिष्ठित	कंडिका 49
(2006) 1 एससीसी 344	प्रतिष्ठित	कंडिका 49
(2008) 2 एससीसी 186	प्रतिष्ठित	कंडिका 49
(1999) 2 एससीआर 99	संदर्भित	कंडिका 53
1993 परिशिष्ट (2) एससीसी 229	पर अवलंबित	कंडिका 55

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2008 का दीवानी अपील सं. 7284

मद्रास स्थित न्यायिक उच्च न्यायालय द्वारा निर्वाचन याचिका संख्या 7 सन 2006 में पारित दिनांक 02.12.2008 के निर्णय औरआदेश से।

के. राममूर्ति, गुरुकृष्ण कुमार, सुब्रमणियम प्रसाद, जय किशोर सिंह, एन. सुन्दरेशन, के. धनसेकरन, श्रीकला गुरुकृष्ण कुमार, यू.एम. रविचंद्रन, जी. आनंद सेल्वम, के. मेल साहनी, आर. सतीश कुमार, एस. नंदा कुमार, सतीश कुमार, अचिन गोयल, पी.वी. योगेश्वरन, जैमन एंड्रयूज़ — उपस्थित पक्षकारों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा प्रदान किया गया:-

एच.एल. दत्तू, न्यायमूर्ति

तथ्यः

1. मई 2006 में आयोजित तमिलनाडु विधान सभा के चुनाव में राजापालयम निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित था। अपीलकर्ता, उत्तरदाता संख्या 1 तथा ग्यारह अन्य व्यक्तियों ने चुनाव लड़ा था। अपीलकर्ता को निर्वाचित घोषित किया गया। उत्तरदाता संख्या 1 ने अन्य बातों के साथ-साथ अपीलकर्ता के निर्वाचन को चुनौती देते हुए चुनाव याचिका दायर की। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव याचिका स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप यह अपील अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई है।

2. राजापालयम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन पत्रों की जाँच 21.04.2006 को की गई और नामांकन पत्रों की जाँच के पश्चात अपीलकर्ता तथा उत्तरदाता संख्या 1 सहित कुल 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। अपीलकर्ता ने एआईएडीएमके दल के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और उसे “दो पत्ते” का चुनाव चिह्न आवंटित किया गया। उत्तरदाता संख्या 1 ने स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और उसे “अंगूठी” का चुनाव चिह्न आवंटित किया गया। उक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान 08.05.2006 को हुआ। चुनाव परिणाम 11.05.2006 को घोषित किया गया और अपीलकर्ता को सर्वाधिक मत प्राप्त होने के कारण सफल प्रत्याशी घोषित किया गया।

3. उत्तरदाता संख्या 1 [चुनाव याचिकाकर्ता] ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81 सहपठित धारा 5(क), 100(1)(क) तथा 125-ए के अंतर्गत चुनाव याचिका दायर कर चुनाव परिणाम को चुनौती दी। उसकी प्रार्थना यह थी कि निर्वाचित प्रत्याशी के चुनाव को शून्य घोषित किया जाए तथा अगली सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को सफल प्रत्याशी घोषित किया जाए।

<u>चुनाव याचिकाकर्ता का तर्कः</u>

4. चुनाव याचिकाकर्ता का यह तर्क है कि राजापालयम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है और ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से केवल अनुसूचित जाति से संबंधित प्रत्याशी ही चुनाव लड़ने के पात्र हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, उत्तरदाता संख्या 1 (जो इस अपील में अपीलकर्ता है) ने स्वयं को अनुसूचित जाति का सदस्य बताते हुए झूठी घोषणा करके तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उसके अनुसार, अपीलकर्ता ईसाई धर्म का पालन करती है, उसका वास्तविक नाम ग्लोरी चंद्रा है और उसका जन्म ईसाई माता-पिता से हुआ है। वह यह भी दावा करता है कि अपीलकर्ता के पति का नाम सूसैमाणिक्कम है और वह भी ईसाई धर्म का पालन करता है। उसका आरोप है कि अपीलकर्ता ने सीएसआई उच्च विद्यालय, बाटलगुंडु में अध्ययन किया था, न कि शासकीय उच्च विद्यालय, देवथानमपट्टी में, जैसा कि उसके नामांकन पत्र में दर्शाया गया है, और विद्यालय अभिलेखों के अनुसार वह ईसाई पल्लन समुदाय से संबंधित है। वह यह भी दावा करता है कि राजापालयम के तहसीलदार द्वारा जारी समुदाय प्रमाणपत्र अपीलकर्ता ने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करके तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाकर प्राप्त किया था और यह प्रमाणपत्र आवेदन प्राप्त होने के दो दिनों के भीतर ही जारी कर दिया गया। वह आगे यह भी कहता है कि कथित धर्मांतरण के बाद भी वर्ष 1999 के लिए प्रकाशित मतदाता सूची में उसका नाम ग्लोरी चंद्रा के रूप में दर्शाया गया था। वह इस तथ्य पर भी निर्भर करता है कि

अपीलकर्ता के पति ने दिनांक 27.4.1998 को भारत संचार निगम लिमिटेड में नए दूरभाष संयोजन के लिए आवेदन किया था, जिसमें उसका नाम सूसैमाणिक्कम दर्शाया गया है। याचिकाकर्ता वर्ष 1997 के मूल जन्म रजिस्टर की प्रविष्टियों पर भी भरोसा करता है, जो एरुमलैनाइकनपट्टी ग्राम में जन्मों से संबंधित हैं और जिनमें उत्तरदाता के यहाँ एक कन्या के जन्म का उल्लेख है, जिसका उस समय का नाम ग्लोरी चंद्रा बताया गया है तथा बच्चे के पिता का नाम सूसैमाणिक्कम और धर्म ईसाई दर्शाया गया है। अतः यह कहा गया है कि उत्तरदाता संख्या 1 जन्म से ईसाई है और निरंतर ईसाई धर्म का पालन करती आ रही है और इसलिए वह आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकती थी।

<u>प्रतिवाद करने वाले प्रत्यर्थी/अपीलकर्ता की दलीलः</u>

5. उत्तरदाता का कथन है कि उसका जन्म एक ईसाई पिता और हिंदू माता से हुआ था। उसके पिता ने बाद में पुनः विवाह कर लिया। उसके पिता ने उसके बाल्यकाल में ही उसे और उसकी माता को त्याग दिया। उसका पालन-पोषण उसकी माता द्वारा उसकी बहन के घर किया गया और वह यह दावा करती है कि उसने अपने पिता से सभी संबंध समाप्त कर लिए थे। उसका कहना है कि वर्ष 1994 में आर्य समाज में उसका हिंदू धर्म में धर्मांतरण हुआ। दिनांक 23.01.1995 को उसका विवाह मुरुगन नामक व्यक्ति से हुआ, जो वर्ष 1975 में हिंदू धर्म में परिवर्तित हुआ था और पल्लन जाति से संबंधित था। उत्तरदाता ने यह भी कहा कि उसका विवाह मुरुगन के साथ उसके पति के घर पर हिंदू पल्लन समुदाय की रीति-रिवाज और प्रथा के अनुसार संपन्न हुआ, जिसमें ग्राम नट्टामै उपस्थित था, जिसने ताली लेकर उसके पति को दी और उसे उत्तरदाता के गले में बाँधने को कहा, तथा विवाह के समय उत्तरदाता के पति के परिवार द्वारा देवेंद्रकुल वेलालर समाजम नामक समुदाय को 250 रुपये की राशि दी गई। उसका यह भी कहना है कि उसके समुदाय के सदस्य देवेंद्रकुल वेलालर समाजम के सदस्य हैं। उसने वर्ष 1997 में समुदाय प्रमाणपत्र प्राप्त किया, जिसमें यह प्रमाणित किया गया कि वह हिंदू पल्लन समुदाय से संबंधित है। वह विशेष रूप से यह

कहती है कि उसने अपने धर्मांतरण की सूचना मतदाताओं को देना आवश्यक नहीं समझा, क्योंकि उसका जन्म और पालन-पोषण हिंदू के रूप में हुआ था और वह हिंदू धर्म का पालन करती रही है। उसका कहना है कि वह बचपन से ही ग्राम के मंदिरों तथा निकटवर्ती कामाक्षीअम्मन मंदिर में हिंदू देवी-देवताओं की पूजा करती रही है। जब उसने युवावस्था प्राप्त की, तब आवश्यक संस्कार हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार किए गए। उसने वर्ष 2001 में संपन्न पंचायत वार्ड संख्या 3 का चुनाव भी लड़ा और जीता। उक्त चुनाव में किसी ने भी उसके द्वारा दायर नामांकन पर कोई आपत्ति नहीं की। वह यह स्पष्ट करती है कि उसकी एक पुत्री का जन्म 20.06.1997 को हुआ था, न कि वह तिथि जो वर्ष 1997 के जन्म रजिस्टर में अंकित है। वह इस आरोप से भी इनकार करती है कि उसने जानबूझकर अपनी दोनों पुत्रियों के जन्म प्रमाणपत्र इस उद्देश्य से प्रस्तुत नहीं किए कि उसका धर्म प्रकट न हो। वह यह भी कहती है कि उसके भाई सुधाकर ज्ञानराज ने शासकीय उच्च विद्यालय, देवथानमपट्टी में अध्ययन किया था, जो सह-शिक्षा संस्थान है, और उसने यह मान लिया कि उसकी बहन होने के कारण उत्तरदाता ने भी उसी विद्यालय में अध्ययन किया होगा, इसलिए उसने नामांकन पत्रों के साथ दायर घोषणा में वही विवरण लिख दिया। वह आगे कहती है कि अपीलकर्ता 20.04.2006 की सुबह ही विरुधुनगर पहुँची थी, जो नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन था, और सब कुछ अत्यधिक शीघ्रता में किया गया। उसके भाई सुधाकर ज्ञानराज ने उसे बताया कि उसने नामांकन पत्र तैयार कर दिए हैं और केवल हस्ताक्षर करना पर्याप्त है, तथा उसने किसी त्रुटि की संभावना पर संदेह करने का कोई कारण न होने के कारण शीघ्रता में घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए। वह आगे कहती है कि यह एक अनजाने में हुई त्रुटि थी, जिससे चुनाव याचिकाकर्ता को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता। उसका यह भी दावा है कि चुनाव याचिका में किए गए कथन असत्य हैं और पराजित प्रत्याशी द्वारा प्रतिद्वंद्वी डीएमके दल के उकसावे पर लाए गए हैं। संक्षेप में, उसका यह दृढ़ कथन है कि वह अनुसूचित जाति से संबंधित है और समुदाय द्वारा उसे उसी रूप में स्वीकार किया गया है।

6. उच्च न्यायालय ने अपने विचार औरनिर्णय के लिए छह मुद्दे निर्धारित किए थे। वे इस प्रकार हैं:—

क्या प्रथम उत्तरदाता/निर्वाचित प्रत्याशी ने अपने विद्यालय अभिलेखों के अनुसार यह महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया कि वह भारतीय ईसाई पल्लन समुदाय से संबंधित है।

क्या प्रथम उत्तरदाता/निर्वाचित प्रत्याशी ने अपने नामांकन पत्र में अपनी सामुदायिक स्थिति तथा विद्यालयी शिक्षा के संबंध में अनुसूचित जाति से संबंधित होने की झूठी घोषणा की।

क्या प्रथम उत्तरदाता/निर्वाचित प्रत्याशी ने वर्ष 1994 में आर्य समाज, मदुरै के माध्यम से हिंदू धर्म स्वीकार किया था और क्या उसे हिंदू पल्लन समुदाय द्वारा स्वीकार किया गया था।

क्या चुनाव याचिकाकर्ता इस आधार पर यह घोषणा पाने का हकदार है कि प्रथम उत्तरदाता/निर्वाचित प्रत्याशी का चुनाव शून्य है, क्योंकि वह आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए अर्ह नहीं थी।

क्या चुनाव याचिकाकर्ता 8.5.2006 को हुए चुनाव में तमिलनाडु विधान सभा के क्रमांक 209, राजापालयम (अनुसूचित जाति) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधिवत निर्वाचित सदस्य घोषित किए जाने का अतिरिक्त घोषणात्मक अनुतोष पाने का अधिकारी है।

याचिकाकर्ता अन्य किन-किन राहतों का अधिकारी है।

उच्च न्यायालय के निर्णयः

7. उच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि सामान्य परिस्थितियों में चुनाव याचिका में प्रमाण का भार याचिकाकर्ता पर होता है, किंतु उत्तरदाता अर्थात् इस अपील की अपीलकर्ता द्वारा यह स्वीकार किए जाने के कारण कि वह वर्ष 1994 में हिंदू धर्म अपनाने से पूर्व ईसाई थी, प्रमाण का भार स्थानांतरित हो जाता है और यह अपीलकर्ता पर है कि वह यह सिद्ध करे कि उसने ईसाई धर्म का परित्याग कर दिया था। उच्च न्यायालय ने

उत्तरदाता/चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत मौखिक औरदस्तावेज़ी साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात यह मत व्यक्त किया कि जिन परिस्थितियों में समुदाय प्रमाणपत्र जारी किया गया था, वे अत्यंत संदेहास्पद थीं, क्योंकि वह आवेदन प्राप्त होने के दो दिनों के भीतर ही जारी कर दिया गया था। न्यायालय ने यह भी कहा कि यह संभव है कि अपीलकर्ता ने अपने पक्ष में प्रमाणपत्र जारी करवाने के लिए राजनीतिक प्रभाव का उपयोग किया हो। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर भी कड़ा संज्ञान लिया कि अपीलकर्ता द्वारा मूल धर्मांतरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया और केवल उसकी प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई। यद्यपि अपनी गवाही में अपीलकर्ता ने यह कहा था कि मूल धर्मांतरण प्रमाणपत्र 27.08.1994 की सायं आर्य समाज, मदुरै द्वारा जारी किया गया था और उसे उसके चाचा संतकुमार ने प्राप्त किया था तथा वह उनके संरक्षण में रहा। प्रमाणपत्र उसे प्रदान नहीं किया गया था और चुनाव याचिका दायर होने के पश्चात उसने अपने चाचा संतकुमार से प्रमाणपत्र सौंपने के लिए कहा। इसके बाद, अपने चाचा द्वारा मूल प्रमाणपत्र के खो जाने की सूचना दिए जाने पर, उसने उनसे प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि प्राप्त करने का अनुरोध किया और तदनुसार संतकुमार ने प्रदर्श आर.13 के रूप में धर्मांतरण प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि प्राप्त की। चुनाव याचिकाकर्ता के अधिकांश तर्कों से सहमत होते हुए उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अपीलकर्ता पर डाला गया प्रमाण का भार संतोषजनक रूप से निर्वाहित नहीं किया गया। अंततः न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अपीलकर्ता पल्लन ईसाई समुदाय से संबंधित है और वह आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा का चुनाव नहीं लड़ सकती थी, और इस प्रकार उसके निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया। तथापि, अगले प्रत्याशी को सफल घोषित करने के संबंध में उच्च न्यायालय ने यह कहा कि इस देश का निर्वाचन विधि-तंत्र ऐसे उपाय को मान्यता नहीं देता है।

<u>अपीलकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियाँः</u>

8. विद्वान अधिवक्ता श्री गुरु कृष्ण कुमार का यह प्रस्तुतिकरण है कि संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 में सूचीबद्ध किसी जाति से संबंधित व्यक्ति को, यदि वह

हिंदू धर्म का पालन करता है, तो उस जाति का सदस्य माना जाएगा। यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने स्थापित विधिक सिद्धांतों के विपरीत अपीलकर्ता पर प्रमाण का भार अनुचित रूप से डाल दिया है। अपीलकर्ता को विधि के अनुसार विधिवत समुदाय प्रमाणपत्र जारी किया गया है और वह अभी भी प्रभावी है, अतः उच्च न्यायालय के लिए उसे अनदेखा करना उचित नहीं था। आगे यह भी कहा गया कि प्रासंगिक साक्ष्यों की उपेक्षा करने तथा स्थापित सिद्धांतों के विपरीत साक्ष्यों का गलत अर्थ निकालने के कारण आक्षेपित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है और वह विकृत भी है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आर्य समाज में अपीलकर्ता द्वारा किया गया अनुष्ठान इस बात की पुनः पुष्टि मात्र है कि वह हिंदू आस्था का पालन करती रहेगी। इन तर्कों का विस्तार करते हुए विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 में भारत के प्रत्येक राज्य की जातियों, नस्लों और जनजातियों का उल्लेख किया गया है और यह प्रावधान किया गया है कि उसमें विनिर्दिष्ट किसी भी जाति से संबंधित व्यक्ति को संविधान के प्रयोजन के लिए अनुसूचित जाति माना जाएगा। कंडिका 3 में यह उपबंध है कि कंडिका 2 में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, जो व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से भिन्न किसी अन्य धर्म का पालन करता है, उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति आदेश के कंडिका 2 और 3 के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट होता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी जाति से संबंधित है जो राष्ट्रपति आदेश की अनुसूची में अधिसूचित है, तो उसे अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त होगा, बशर्ते वह हिंदू धर्म या कंडिका 3 में उल्लिखित अन्य धर्मों में से किसी एक का पालन करता हो। यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति आदेश के कंडिका 3 में प्रयुक्त शब्द "पालन करना" की व्याख्या संविधान पीठ द्वारा *पंजाबराव बनाम डी. पी. मेशराम औरअन्य* (1965) 1 एसएलआर 849 के मामले में की जा चुकी है। अतः किसी व्यक्ति को अनुसूचित जाति माना जाने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि वह हिंदू धर्म का आचरण करता हो। इस संदर्भ में इस न्यायालय के *पेरुमल नादर बनाम पोन्नुस्वामी* (1970) 1 एससीसी 605 तथा *गंगापाल बनाम*

पीठासीन पदाधिकारी (1975) 1 एससीसी 589 के निर्णयों पर भी अवलंबित।

9. इस तर्क का विस्तार करते हुए कि उच्च न्यायालय ने स्थापित विधिक सिद्धांतों के विपरीत अपीलकर्ता पर प्रमाण का भार गलत रूप से डाल दिया है, विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि निर्वाचन याचिका में प्रमाण का भार निर्वाचन याचिकाकर्ता पर होता है और उसके लिए यह उसका कर्तव्य है कि वह अपने मामले को युक्तिसंगत संदेह से परे स्थापित करे। तथापि, उच्च न्यायालय ने अपने आपत्तित आदेश में यह मानकर त्रुटि की है कि निर्वाचन याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आरोपों और कथनों को सिद्ध करना अपीलकर्ता का दायित्व है और चूंकि अपीलकर्ता नकारात्मक बात को सिद्ध करने में असफल रहा, इसलिए निर्वाचन याचिका में की गई प्रार्थना को स्वीकार किया जाना चाहिए। इस प्रस्तुति के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता इस न्यायालय के निर्णयों पर निर्भर करते हैं जिनमें *जे. चंद्र शेखर राव बनाम वी. जगपति राव* 1993 सप्ली. (2) एससीसी 229, *हरिकृष्ण लाल बनाम बाबूलाल मरांडी* (2003) 8 एससीसी 613, *राजिक राम बनाम जसवंत सिंह* (1975) 4 एससीसी 769, *गजानन कृष्णाजी बापट बनाम दत्ताजी रघोबाजी मेघा* (1995) 5 एससीसी 347, *रेगु महेश बनाम राजेन्द्र प्रताप भन्य देव* (2004) 1 एससीसी 46 तथा *जीत मोहिंदर बनाम हरमिंदर सिंह* (1999) 9 एससीसी 386 शामिल हैं।

10. विद्वान अधिवक्ता यह भी तर्क देते हैं कि अपीलकर्ता को विधि के अनुसार उचित प्रक्रिया में एक समुदाय प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिसे अभी तक किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त नहीं किया गया है, इसलिए उच्च न्यायालय के लिए उसे अनदेखा करना उचित नहीं था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रासंगिक साक्ष्यों की उपेक्षा करने तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की स्थापित सिद्धांतों के विपरीत गलत व्याख्या करने के कारण उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए। यह भी कहा गया है कि आर्य समाज द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर अविश्वास करने में उच्च न्यायालय उचित नहीं था और उसे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचना चाहिए था कि अपीलकर्ता

यह सिद्ध करने में असफल रहा कि ईसाई धर्म से हिंदू धर्म में परिवर्तन हुआ था। यह भी तर्क दिया गया है कि यह स्थापित विधि है कि जब पक्षकारों को अपने-अपने मामलों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी जाती है और यदि यह उनकी शिकायत नहीं है कि कोई साक्ष्य रोका गया, तो प्रमाण के भार का प्रश्न महत्व खो देता है और केवल शैक्षणिक रह जाता है। अपनी प्रस्तुति के समर्थन में, हमारा ध्यान इस न्यायालय के निर्णयों की ओर आकर्षित किया गया, जिनमें *रघुनाथी एम. चंद्र बनाम एम. थंगामुथु औरअन्य, राजू रामप्पा शेट्टी* (1991) सप्ली. (2) एससीसी 267; *स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और अन्य* (2006) 6 एससीसी 94 शामिल हैं।

<u>उत्तरदाता सं. 1 के विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतिः-</u>

11. उत्तरदाता सं. 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. राममूर्ति ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता का नाम ग्लोरी चंद्रा है और उसका नाम ही यह संकेत देता है कि वह ईसाई है और ईसाई धर्म का पालन करती है, तथा यह तथ्य इस बात से और पुष्ट होता है कि उसका जन्म ईसाई माता-पिता से हुआ है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता ने सीएसआई उच्च विद्यालय, बाटलागुंडु में अध्ययन किया और उसके विद्यालय के अभिलेखों के अनुसार वह ईसाई धर्म से संबंधित है तथा इस तथ्य को अपीलकर्ता ने अपने द्वारा प्रस्तुत नामांकन पत्रों में छिपाया। यह भी कहा गया कि अपीलकर्ता के माता-पिता ईसाई धर्म का पालन करते हैं और अपीलकर्ता का पालन-पोषण ईसाई के रूप में हुआ तथा उसका विवाह भी ईसाई रीति-रिवाज के अनुसार हुआ और उसके पति 'थूया सहाय अन्नई आलयम' नामक एक गिरजाघर के सदस्य हैं। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता अनुसूचित जाति से संबंधित नहीं है, किंतु उसने अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करके राजापालयम के तहसीलदार से इस प्रकार का समुदाय प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया मानो वह अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित हो। यह भी प्रस्तुत किया गया कि किसी मुद्दे पर लिखित कथन में विशिष्ट अभिकथनों के अभाव में उससे संबंधित किसी साक्ष्य

पर विचार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में इस न्यायालय के निर्णयों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया, जिनमें *दुग्गी वीरा वेंकट गोपाला सत्यनारायण बनाम सकला वीरा राघवैया और एक अन्य* (1987) 1 एससीसी 254; *श्री वेंकटरमणा देवरु और अन्य बनाम मैसूर राज्य और अन्य* एआईआर 1958 एससी 255; *गजानन कृष्णाजी बापट और एक अन्य बनाम दत्ताजी राघोबाजी मेघे और अन्य* (1995) 5 एससीसी 347; *अबुबकर अब्दुल इनामदार (मृत) विधिक प्रतिनिधियों द्वारा और अन्य बनाम हारून अब्दुल इनामदार और अन्य* एआईआर 1996 एससी 112; *गुलाबराव बालवंतराव शिंदे और अन्य बनाम छबूबाई बालवंतराव शिंदे और अन्य* (2003) 1 एससीसी 212 तथा *बंदार सिंह औरअन्य बनाम निहाल सिंह औरअन्य* (2003) 4 एससीसी 161 शामिल हैं।

उत्तरदाता सं. 2 के विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुति।

12. उत्तरदाता सं. 2 की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बालासुब्रमण्यम ने प्रस्तुत किया कि निर्वाचन याचिकाकर्ता ने निर्वाचन याचिका में स्पष्ट अभिकथनों के माध्यम से अपना प्रारंभिक भार पूरा कर दिया है कि अपीलकर्ता का जन्म ईसाई माता-पिता से हुआ और उसके माता-पिता अब भी ईसाई धर्म का पालन करते हैं तथा उसके विद्यालय के अभिलेख भी यह दर्शाते हैं कि वह भारतीय ईसाई पल्लन समुदाय से संबंधित है और आगे यह कि उसका जन्म और पालन-पोषण ईसाई के रूप में हुआ और आज तक वह ईसाई धर्म का पालन करती रही, और इन अभिकथनों का अपीलकर्ता ने खंडन नहीं किया, बल्कि यह स्वीकारोक्ति है कि उसका जन्म ईसाई माता-पिता से होने के कारण वह ईसाई के रूप में जन्मी और पली-बढ़ी तथा केवल 1994 में उसने स्वयं को हिंदू धर्म में परिवर्तित किया, और यदि वह प्रारंभ से ही हिंदू होती, तो आर्य समाज में हिंदू धर्म की पुनर्पुष्टि के लिए किसी अन्य अनुष्ठान से गुजरने का कोई कारण नहीं था। यह भी तर्क दिया गया कि धर्म परिवर्तन करने वाले की मंशा, परिवर्तन की सत्यता का निर्णय करने में एक प्रासंगिक कारक होती है। यद्यपि अपीलकर्ता ने यह कहा कि उसके पूर्वज पल्लन समुदाय के हिंदू थे और विभिन्न

कारणों से ईसाई धर्म में परिवर्तन हुआ, परंतु बाद में उसने ईसाई धर्म का परित्याग कर हिंदू धर्म अपना लिया, किन्तु इन कथनों के समर्थन में साक्ष्य के अभाव में यह माना जाना चाहिए कि अपीलकर्ता पहली बार ईसाई धर्म से हिंदू धर्म में परिवर्तित हुई है। आगे यह भी कहा गया कि अपीलकर्ता का पति भी ईसाई था और अब भी ईसाई धर्म का पालन करता है तथा केवल 1975 में उसने अपना धर्म हिंदू बताने का दावा किया। यह भी तर्क दिया गया कि यद्यपि अपीलकर्ता यह दावा करती है कि उसने मदुरै स्थित आर्य समाज के माध्यम से हिंदू धर्म अपनाया, परंतु वह अपने धर्म परिवर्तन को ठोस और स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा सिद्ध करने में असफल रही और इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा उसके साक्ष्य पर विश्वास न करना उचित था। यह भी कहा गया कि अपीलकर्ता यह सिद्ध करने में असफल रही कि उसका विवाह हिंदू रीति के अनुसार हुआ था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने जोर देकर कहा कि अपीलकर्ता के जीवन में दो अवस्थाएँ हैं, अर्थात परिवर्तन से पूर्व और परिवर्तन के बाद। उनके अनुसार, निर्वाचन याचिका में दायर उत्तर में यह कोई अभिकथन नहीं है कि वह जन्म से हिंदू थी और परिवर्तन तक हिंदू धर्म का पालन करती रही, और न ही यह कहा गया है कि किसी भी चरण में वह हिंदू धर्म का पालन करती थी या हिंदू जीवन शैली में रहती थी या हिंदू आस्था में विश्वास रखती थी। अतः उनका कहना है कि निर्वाचन याचिकाकर्ता द्वारा दायर निर्वाचन याचिका को स्वीकार करने में उच्च न्यायालय उचित था।

अनुसूचित जाति की परिभाषाः

13. हम इस विषय पर चर्चा आरंभ करते हुए सर्वप्रथम इस न्यायालय द्वारा *गणपत बनाम पीठासीन पदाधिकारी,* 1975 (1) एससीसी 589 के मामले में की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं। "अस्पृश्यता की भयावह प्रथा का उन्मूलन किया जाना आवश्यक है। इसका उन्मूलन केवल संवैधानिक प्रावधानों या कानून बनाकर ही नहीं, बल्कि इसे मनुष्यों के मन और हृदय से समाप्त करके भी किया जाना चाहिए। इसके लिए यह और भी अधिक महत्वपूर्ण है कि जो समुदाय अस्पृश्य माने जाते हैं उनके सदस्य अपने

आत्मसम्मान को स्थापित करें और अपनी गरिमा के लिए संघर्ष करें, बजाय इसके कि अन्य समुदायों के सदस्य इसके बारे में भूल जाएँ।”

14. निम्न जातियों को उच्च जातियों के समकक्ष लाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि समान अवसर केवल शब्दों तक सीमित न रहे बल्कि व्यवहार में भी सुनिश्चित किया जा सके।

15. “अनुसूचित जातियाँ” से अभिप्राय ऐसी जातियों, नस्लों या जनजातियों से है अथवा उन जातियों, नस्लों या जनजातियों के भीतर के भागों या समूहों से है, जिन्हें संविधान के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अनुसूचित जातियाँ माना गया है। संदर्भ की सुविधा के लिए उक्त प्रावधान को उद्धृत किया जाता है:

> "341. अनुसूचित जातियाँ – (1) राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, और जहाँ वह राज्य हो, वहाँ उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उन जातियों, नस्लों या जनजातियों को निर्दिष्ट कर सकते हैं, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियाँ माना जाएगा।
>
> (2) संसद विधि द्वारा, उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में किसी भी जाति, नस्ल या जनजाति अथवा किसी जाति, नस्ल या जनजाति के किसी भाग या समूह को सम्मिलित कर सकती है या उससे बाहर कर सकती है, परंतु उपर्युक्त के अतिरिक्त उक्त उपधारा के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना को किसी बाद की अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

16. संविधान के अनुच्छेद 341 (1) पर इस न्यायालय द्वारा *एस. स्वविगारादोस बनाम क्षेत्रीय प्रबंधक, एफ. सी. आई.* (1996) 3 एससीसी 100 के मामले में विचार किया गया था। उस मामले में इस न्यायालय ने निम्न प्रकार से कहा :-

“अनुच्छेद 341(1) भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान करता है कि वे राज्य के

राज्यपाल से परामर्श करके, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, या राज्य के किसी भाग, जिले या क्षेत्र के लिए, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उन जातियों, नस्लों या जनजातियों अथवा जातियों, नस्लों या जनजातियों के भीतर के भागों या समूहों को निर्दिष्ट करें, जिन्हें संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में 'अनुसूचित जातियाँ' माना जाएगा। अनुच्छेद 341 की उपधारा (2) संसद को यह अधिकार देती है कि वह विधि द्वारा, उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में किसी भी जाति, नस्ल या जनजाति अथवा किसी जाति, नस्ल या जनजाति के किसी भाग या समूह को सम्मिलित कर सके या उससे बाहर कर सके, परंतु उपर्युक्त के अतिरिक्त उक्त उपधारा के अंतर्गत जारी अधिसूचना को किसी बाद की अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, संवैधानिक आदेश यह है कि राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उन जातियों, नस्लों या जनजातियों अथवा उनके भागों या समूहों को निर्दिष्ट करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, जिन्हें उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जातियाँ माना जाएगा।"

17. इन प्रावधानों के तहत 1950 में संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश जारी किया गया। इसमें भारत के प्रत्येक राज्य में पाई जाने वाली जातियों, नस्लों और जनजातियों का उल्लेख किया गया है और कंडिका 2 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि उसमें निर्दिष्ट किसी भी जाति से संबंधित व्यक्ति को संविधान के उद्देश्य से अनुसूचित जाति का सदस्य माना जाएगा। कंडिका 3 में एक उपबंध है जिसके अनुसार, कंडिका 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, जो व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से भिन्न किसी अन्य धर्म को मानता है, उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति आदेश के कंडिका 2 और 3 को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि यदि कोई व्यक्ति उस जाति से संबंधित है जो राष्ट्रपति आदेश

की अनुसूची में अधिसूचित है, तो उसे अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त होगा, बशर्ते कि वह हिंदू धर्म या कंडिका 3 में उल्लिखित अन्य धर्मों में से किसी एक को मानता हो।

18. आदेश का पाठ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने संबंधित राज्यों के राज्यपालों और राजप्रमुखों से परामर्श करने के पश्चात निम्नलिखित आदेश जारी करने की कृपा की है, अर्थात्:

1. इस आदेश को संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 कहा जा सकता है।

2. इस आदेश के प्रावधानों के अधीन, इस आदेश की अनुसूची के भाग I से XXII में निर्दिष्ट जातियां, नस्लें या जनजातियां अथवा उनके भीतर के भाग या समूह, जिन राज्यों से वे संबंधित हैं, उन राज्यों के संदर्भ में, उन भागों में उनके संबंध में निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों में निवास करने वाले उनके सदस्यों के संबंध में, अनुसूचित जातियां मानी जाएंगी।

3. कंडिका 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, जो व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से भिन्न किसी अन्य धर्म को मानता है, उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा।

4. इस आदेश में किसी राज्य या उसके किसी जिले या अन्य प्रादेशिक विभाजन के संबंध में किया गया कोई भी संदर्भ, 1 मई 1976 को जिस रूप में राज्य, जिला या अन्य प्रादेशिक विभाजन का गठन था, उसी के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।

19. संशोधन से पूर्व, संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 के खंड (3) पर इस न्यायालय द्वारा *पंजब राव बनाम डी.पी. मेहराम,* [(1965) 1 एससीआर 849] के मामले में विचार किया गया था, जिसमें इस न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि "संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 के खंड (3) का आशय यह है कि किसी व्यक्ति को उसके अंतर्गत अनुसूचित जाति का सदस्य माने जाने के लिए यह आवश्यक है कि वह हिंदू या

सिख धर्म का अनुयायी हो। उच्च न्यायालय ने, अपने पूर्व निर्णय करवाड़े बनाम शंभाकर [एआईआर 1958 बॉम्बे296] का अनुसरण करते हुए यह कहा कि उपर्युक्त प्रावधान में प्रयुक्त वाक्यांश 'किसी धर्म को मानना' का अर्थ 'सार्वजनिक रूप से किसी धार्मिक अवस्था में प्रवेश करना' है और इस उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति द्वारा केवल यह घोषणा कर देना कि उसने किसी विशेष धर्म को छोड़ दिया है और दूसरे धर्म को अपना लिया है, पर्याप्त नहीं होगा। 'मानना' शब्द के अर्थ एक शब्दकोश में इस प्रकार दिए गए हैं: 'सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना; खुले रूप से घोषणा करना; अपने विश्वास की घोषणा करना; किसी धार्मिक संप्रदाय में सम्मिलित होना।' दूसरे शब्दकोश में दिए गए अर्थ भी लगभग इसी प्रकार के हैं। हमें प्रतीत होता है कि 'अपने विश्वास की घोषणा करना' वाला अर्थ उक्त आदेश की व्याख्या करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध धार्मिक आस्था तथा उसके परिवर्तन से है। इस प्रकार, अपने विश्वास की घोषणा का अनिवार्य रूप से यह अर्थ होगा कि वह इस प्रकार की जाए कि जिन लोगों के लिए वह महत्वपूर्ण है, उन्हें उसका ज्ञान हो सके। अतः यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करता है कि उसने अपने पुराने धर्म को छोड़ दिया है और किसी अन्य धर्म को स्वीकार कर लिया है, तो उसे उस अन्य धर्म का अनुयायी माना जाएगा। ऐसी खुली घोषणा के सामने यह और जांच करना निरर्थक होगा कि किसी अन्य धर्म में उसका परिवर्तन प्रभावी था या नहीं। राष्ट्रपति आदेश में 'मानना' शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा हिंदू या सिख धर्म की खुली घोषणा या उसके आचरण के अर्थ में किया गया प्रतीत होता है। अतः यदि कोई व्यक्ति इसके विपरीत यह कहता है कि वह अब हिंदू नहीं रहा, तो वह उस आदेश के अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता।"

20. हम 1950 के इस आदेश और इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी को इस प्रकार समझते हैं कि राष्ट्रपति आदेश के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को यह स्थापित करना होगा कि वह जिस जाति से संबंधित है, वह राष्ट्रपति आदेश में अधिसूचित है और वह हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से भिन्न किसी अन्य धर्म को नहीं मानता

है।

धर्म परिवर्तन – प्रमाण का बोझः

21. यह विवादित नहीं है कि हिंदू पल्लन समुदाय राष्ट्रपति आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित है। अपीलकर्ता का दावा है कि यद्यपि उसके पिता ईसाई थे, उसकी माता हिंदू पल्लन समुदाय की परंपराओं का पालन करती रहीं। उसका यह भी कहना है कि जब वह अभी छोटी ही थी, तब उसके पिता ने उसकी माता को छोड़ दिया और उसकी माता ने उसका पालन-पोषण एक हिंदू के रूप में किया तथा उसके समुदाय ने उसे और उसकी माता को हिंदू के रूप में स्वीकार किया। अब प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ता हिंदू धर्म को मानती और उसका पालन करती है। अपीलकर्ता का कहना है कि यद्यपि उसके पिता ईसाई हैं, उसकी माता हिंदू धर्म को मानती रही हैं और उसका यह भी कहना है कि उसका जन्म और पालन-पोषण उसकी माता द्वारा एक हिंदू के रूप में हुआ तथा वह निरंतर हिंदू आस्था को मानती रही है और हिंदू धर्म में अपनी आस्था की पुनः पुष्टि करने के लिए उसने मदुरै स्थित आर्य समाज में धार्मिक अनुष्ठान किए, जिसके प्रमाणस्वरूप उसने प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत की है। इस अपील की सुनवाई के समय दोनों पक्षों के बीच आर्य समाज द्वारा जारी धर्म परिवर्तन प्रमाणपत्र को लेकर काफी बहस हुई। अपीलकर्ता ने अपने पक्ष के समर्थन में अपने साक्ष्य में आर्य समाज में किए गए विभिन्न अनुष्ठानों का उल्लेख किया, मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर पाने के कारण बताए और उसकी प्रति प्रस्तुत करने की आवश्यकता भी स्पष्ट की। चूंकि यह इस मामले का मुख्य आधार है, उत्तरदाताओं के अधिवक्ता ने प्रमाणपत्र में कथित रूप से विभिन्न विसंगतियों की ओर ध्यान दिलाया, जैसे उसके आकार, विस्तार, किनारों, तिथियों और हस्ताक्षरों से संबंधित बातें। इन पर हम तब विचार करेंगे जब हम उस प्रमाणपत्र की सत्यता पर चर्चा करेंगे, जिसे अपीलकर्ता ने अपने बचपन से ही हिंदू धर्म में अपनी आस्था बनाए रखने की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया है। इससे पहले, पेरुमल नादर बनाम पोन्नुस्वामी, [1970 (1) एससीसी 605] के मामले में इस

न्यायालय द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर ध्यान देना उचित होगा। इस न्यायालय ने यह कहा:

> "6. कोई व्यक्ति जन्म से या धर्म परिवर्तन के द्वारा हिंदू हो सकता है। किसी अन्य धर्म में जन्मे व्यक्ति द्वारा केवल सैद्धांतिक रूप से हिंदू आस्था के प्रति निष्ठा व्यक्त कर देना उसे हिंदू नहीं बना देता, और न ही केवल यह घोषणा कर देना कि वह हिंदू है, उसे हिंदू धर्म में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त है। किंतु हिंदू आस्था में परिवर्तित होने की सच्ची और ईमानदार इच्छा, तथा उस इच्छा को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने वाले आचरण के साथ, धर्म परिवर्तन का पर्याप्त प्रमाण हो सकती है। धर्म परिवर्तन को प्रभावी बनाने के लिए किसी औपचारिक शुद्धिकरण या प्रायश्चित अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती।
>
> 8. *गूना दुर्गाप्रसाद राव बनाम गूना सुदर्शनस्वामी* के मामले में न्यायमूर्ति मॉकट ने यह कहा कि केवल किसी संकेत या घोषणा से किसी व्यक्ति का धर्म नहीं बदलता, परंतु जब तथ्यों से यह स्पष्ट हो कि किसी व्यक्ति ने वास्तव में अपना धर्म बदल लिया था और उसके सहधर्मियों ने उसे धर्म परिवर्तन कर चुका मानकर स्वीकार कर लिया था तथा वह उसी धर्म में जीवन व्यतीत करता रहा और उसी में उसकी मृत्यु हुई, तो किसी औपचारिकता के अभाव से उस वास्तविक तथ्य को नकारा नहीं जा सकता। न्यायमूर्ति कृष्णस्वामी अय्यंगार ने यह कहा कि एक हिंदू जिसने स्वयं को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर लिया था, वह पुनः हिंदू धर्म में लौट आया और अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह किया तथा समुदाय और सहधर्मियों द्वारा बिना किसी आपत्ति के हिंदू के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद वह हिंदू के रूप में ही रहा और उसी रूप में उसकी मृत्यु हुई। धर्म परिवर्तन से संबंधित अनुष्ठानों के प्रमाण का अभाव न्यायालय को उसे ईसाई ही मानते रहने का आधार नहीं दे सकता।
>
> 22. *गणपत बनाम पीठासीन पदाधिकारी,* (1975) 1 एससीसी 589 के मामले में यह

कहा गया:

"11. इस संदर्भ में यह स्मरण रखना आवश्यक है कि हिंदू धर्म एक अत्यंत व्यापक आधार वाला धर्म है। वास्तव में कुछ लोग यह मत रखते हैं कि यह कोई धर्म ही नहीं है, क्योंकि हिंदुओं के लिए न तो कोई एक संस्थापक है और न ही कोई एक पवित्र ग्रंथ। परंतु यह दृष्टिकोण अत्यंत संकीर्ण है, जो केवल एक ओर हिंदू धर्म और दूसरी ओर इस्लाम तथा ईसाई धर्म की तुलना पर आधारित है। यह सर्वविदित है कि हिंदू धर्म ने समय के साथ अनेक भिन्न-भिन्न धार्मिक तथा सांसारिक परंपराओं और विभिन्न आस्थाओं को अपने भीतर समाहित या स्वीकार किया है। एक साक्षी ने यह भी कहा कि वह बुद्ध को ग्यारहवां अवतार मानता है...... हिंदू धर्म इतना सहिष्णु है और इसकी धार्मिक परंपराएं इतनी विविध और मिश्रित हैं कि यह निश्चित रूप से कहना कठिन हो जाता है कि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म का पालन कर रहा है या उसे मान रहा है अथवा नहीं।

23. *कोठापल्ली नरसय्या बनाम जम्माना जोगी,* एआईआर 1976 एससी 937 के मामले में यह कहा गया है:

"इन मामलों से यह स्पष्ट होता है कि इस देश में प्रशासक-जनरल, मद्रास बनाम आनंदाचारी के निर्णय, अर्थात 1886 से, लगातार यही मत अपनाया जाता रहा है कि हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश करने पर कोई व्यक्ति फिर से उस जाति का सदस्य बन सकता है जिसमें वह जन्मा था और जिससे वह किसी अन्य धर्म में परिवर्तन से पहले संबंधित था, बशर्ते उस जाति के सदस्य उसे अपने सदस्य के रूप में स्वीकार कर लें। न तो सिद्धांत के आधार पर और न ही प्राधिकार के आधार पर ऐसा कोई कारण है जो हमें लगभग एक शताब्दी से प्रचलित इस मत की उपेक्षा करने और इस विषय पर कोई भिन्न नियम स्थापित करने के लिए बाध्य करे। यदि कोई व्यक्ति जिसने किसी अन्य धर्म को अपना लिया हो, पुनः हिंदू धर्म में लौट सकता है, तो

ऐसा कोई तर्कसंगत सिद्धांत नहीं है कि वह अपनी जाति में वापस क्यों नहीं आ सकता, यदि उस जाति के अन्य सदस्य उसे पुनः अपने सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हों। यह स्वाभाविक है कि वह उस समूह में वापस आ सके जिससे वह पहले संबंधित था, बशर्ते कि समुदाय उसे अपने भीतर सम्मिलित करने के लिए तैयार हो। महार, कोली या माला व्यक्ति हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश करने के बाद भी महार, कोली या माला ही माना जाएगा और वह उन्हीं सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करेगा जिनका सामना वह किसी अन्य धर्म में परिवर्तन से पहले करता था। अतः यह स्पष्ट है कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का उद्देश्य और प्रयोजन इस दृष्टिकोण को अपनाने से बाधित नहीं बल्कि और अधिक सुदृढ़ होगा कि हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश करने पर व्यक्ति पुनः उस अनुसूचित जाति का सदस्य बन सकता है जिससे वह अपने धर्म परिवर्तन से पूर्व संबंधित था। अतः हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए इस मत से सहमत हैं कि हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश करने पर प्रथम प्रत्युत्तरदाता अपनी मूल आदि द्रविड़ जाति में पुनः लौट सकता है, यदि उस जाति के अन्य सदस्यों द्वारा उसे उसी रूप में स्वीकार कर लिया जाए।"

24. *एस. अनबलगन बनाम बी. देवराजन तथा अन्य,* (1984) 2 एससीसी 112 के मामले में यह कहा गया है:

"ये पूर्व निर्णय, विशेषकर दक्षिण भारत के मामलों से संबंधित, स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसने पहले किसी अन्य धर्म को अपना लिया था, हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश के लिए किसी विशेष अनुष्ठान का निर्धारित होना आवश्यक नहीं है। जब तक जाति की परंपरा इसकी मांग न करे, तब तक किसी प्रायश्चित संबंधी विधि को करने की आवश्यकता नहीं होती और सामान्यतः वह अपनी जाति को पुनः प्राप्त कर लेता है, जब तक कि समुदाय उसे स्वीकार करने से इंकार न करे। वास्तव में यह कहना भी पूर्णतः सही नहीं हो सकता कि वह अपनी जाति को

पुनः प्राप्त करता है; अधिक उचित यह कहना होगा कि किसी अन्य धर्म को अपनाने के समय उसने अपनी जाति को प्रारंभ में खोया ही नहीं था। जाति की परंपरा, चाहे वह हमारी बुद्धि को कितनी ही अविवेकपूर्ण क्यों न लगे और चाहे वह हमारी नैतिक तथा सामाजिक भावना के प्रतिकूल क्यों न प्रतीत हो, भारतीय समाज में इतनी गहराई से जड़ जमाए हुए है कि किसी अन्य धर्म में परिवर्तन करने पर भी उसका प्रभाव समाप्त होता हुआ नहीं दिखता। यदि वह समाप्त होता भी है, तो केवल पुनः धर्म परिवर्तन पर फिर से प्रकट हो जाता है। जाति का प्रभाव ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म परिवर्तन के कई पीढ़ियों बाद भी वास्तव में पूरी तरह समाप्त नहीं होता।"

25. *कैलाश शंकर बनाम श्रीमती माया देवी,* [(1984) 2 एससीसी 91] के मामले में इस न्यायालय ने, न्यायमूर्ति फ़ज़ल अली के माध्यम से, निम्नलिखित टिप्पणी की।

"हमारे विचार से एक ऐसा पक्ष है जिस पर हमारे द्वारा चर्चा किए गए किसी भी मामले में ध्यान नहीं दिया गया है। मान लीजिए कि 'क' अनुसूचित जाति का एक सदस्य है, जो ईसाई धर्म अपना लेता है और एक ईसाई लड़की से विवाह करता है तथा उससे एक पुत्री जन्म लेती है, जिसे ईसाई धर्म की मान्यताओं के अनुसार बपतिस्मा दिया जाता है और उसका पालन-पोषण उसी प्रकार किया जाता है। जब वह पुत्री विवेक की आयु प्राप्त कर लेती है, तब वह अपनी इच्छा से पुनः हिंदू धर्म को अपनाने का निर्णय लेती है। ऐसी स्थिति में क्या उसकी जाति का पुनर्जीवन संबंधित जाति के समुदाय के सदस्यों के विचारों पर निर्भर करेगा, या यदि उसका पुनः धर्म ग्रहण करना वास्तविक हो और आवश्यक अनुष्ठानों तथा विधियों के साथ किया गया हो, तो क्या उसकी जाति स्वतः ही पुनर्जीवित हो जाएगी? दूसरे शब्दों में, क्या 'ख' (पुत्री) के लिए यह कहना संभव नहीं है कि क्योंकि उसका जन्म ईसाई माता-पिता से हुआ, इसलिए उनका धर्म उस पर थोपा नहीं जा सकता, जब वह विवेक की आयु प्राप्त करने के बाद और संसार के विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अपने पुराने

धर्म में लौटने का निर्णय लेती है। उसका यह दोष नहीं था कि वह ईसाई माता-पिता से उत्पन्न हुई और उस समय बपतिस्मा दिया गया जब वह अभी अल्पायु थी और धर्म के बारे में कुछ नहीं जानती थी। अतः क्या उसकी जाति का पुनर्जीवन उसकी मूल जाति के समुदाय के सदस्यों की इच्छा या मनमर्जी पर निर्भर होना चाहिए, या केवल इस कारण कि उसका जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ, चाहे सौभाग्य से या दुर्भाग्य से, वह सदा के लिए अपनी जाति खो देगी? पूरे सम्मान के साथ, हमारा दृढ़ मत है कि यद्यपि समुदाय के सदस्यों के विचार एक महत्वपूर्ण तत्व होंगे, परंतु उनके विचारों के आधार पर 'ख' को उसकी जाति से पूर्णतः वंचित नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में, यदि समुदाय के सदस्यों के विचारों पर अत्यधिक बल दिया गया, तो इससे खतरनाक प्रकार का शोषण उत्पन्न हो सकता है।"

"परंतु इससे यह आवश्यक रूप से एक अपरिवर्तनीय नियम के रूप में यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि जब भी कोई व्यक्ति हिंदू धर्म का त्याग करके किसी अन्य धर्म को अपनाता है, तो वह अपने आप ही उस जाति का सदस्य रहना बंद कर देता है, जिसमें वह जन्मा था और जिससे वह धर्म परिवर्तन से पहले संबंधित था। यदि किसी जाति की संरचना ऐसी है कि उसके सदस्यों का हिंदू धर्म से संबंधित होना अनिवार्य है, तो जो सदस्य हिंदू रहना बंद कर देता है, वह उस जाति से बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसके नियमों और परंपराओं के अनुसार कोई गैर-हिंदू उस जाति का सदस्य नहीं हो सकता। परंतु यदि उसकी संरचना, जो समय के साथ विकसित हुई है, ऐसी है कि उस जाति में केवल हिंदू धर्म मानने वाले ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं, तो हिंदू धर्म से उस अन्य धर्म में परिवर्तन करने से जाति का नाश आवश्यक रूप से नहीं होता, क्योंकि उस अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति भी उस जाति के सदस्य हो सकते हैं। यह दक्षिण भारत में कोई असामान्य घटना नहीं है, जहां कुछ जातियों में ईसाई धर्म अपना लेने के बाद भी

व्यक्ति को उसी जाति का सदस्य माना जाता रहता है।"

26. *सी.एम. अरुमुगम बनाम एस. राजगोपाल तथा अन्य,* (1976) 1 एससीसी 863 के मामले में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी की गई है।

"इन मामलों से यह स्पष्ट होता है कि इस देश में वर्ष 1886 में मद्रास के प्रशासक-जनरल बनाम आनंदाचारी के निर्णय के समय से निरंतर यह दृष्टिकोण अपनाया जाता रहा है कि हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश करने पर कोई व्यक्ति एक बार फिर उस जाति का सदस्य बन सकता है, जिसमें वह जन्मा था और जिससे वह किसी अन्य धर्म में परिवर्तन से पूर्व संबंधित था, यदि उस जाति के सदस्य उसे पुनः सदस्य के रूप में स्वीकार कर लें। न तो सिद्धांत के आधार पर और न ही प्रामाणिक निर्णयों के आधार पर ऐसा कोई कारण है जो हमें लगभग एक शताब्दी से प्रचलित इस दृष्टिकोण की उपेक्षा करने और इस विषय पर कोई भिन्न नियम निर्धारित करने के लिए बाध्य करे। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म को अपनाने के बाद पुनः हिंदू धर्म में लौट सकता है, तो ऐसा कोई तर्कसंगत आधार नहीं है कि वह अपनी जाति में वापस न आ सके, यदि उस जाति के अन्य सदस्य उसे पुनः सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हों। यह स्वाभाविक है कि वह उस समूह में लौट सके, जिसका वह पहले सदस्य था, बशर्ते कि समुदाय उसे पुनः अपने भीतर स्वीकार करने के लिए तैयार हो। रूढ़िवादी हिंदू समाज, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, अब भी बड़े पैमाने पर मध्यकालीन दृष्टिकोण और स्थिति-आधारित सोच से प्रभावित है, जो अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्ति पर सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयां आरोपित करता है, और इसी कारण संविधान द्वारा उसे विशेष संरक्षण दिया गया है। जब ऐसा व्यक्ति हिंदू रहना बंद कर देता है और ईसाई बन जाता है, तो हिंदू धर्म से उत्पन्न होने वाली सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं और इसलिए उसे वह संरक्षण देना आवश्यक नहीं रह जाता, और इसी कारण उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं

माना जाता। परंतु जब वह पुनः हिंदू धर्म में लौटता है, तो वही सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयां फिर से उत्पन्न हो जाती हैं और उससे जुड़ जाती हैं, क्योंकि ये कठिनाइयां हिंदू सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न होती हैं।"

27. हमें यह स्मरण रखना चाहिए, जैसा कि इस न्यायालय ने गणपत के मामले में कहा है, कि हिंदू धर्म ऐसा धर्म नहीं है जिसमें एक ही ईश्वर या एक ही पवित्र ग्रंथ हो। हिंदुओं की प्रथाएं क्षेत्र से क्षेत्र और स्थान से स्थान तक भिन्न होती हैं। जिन देवताओं की पूजा की जाती है, रीति-रिवाज, परंपराएं, आचरण और अनुष्ठान सभी अलग-अलग होते हैं, फिर भी ये सभी लोग हिंदू माने जाते हैं। किसी व्यक्ति की धार्मिक स्वीकृति का निर्धारण उसके नाम या जन्म के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति हिंदू धर्म को मानने का इरादा करता है और अपने क्षेत्र की प्रथाओं या अपनी जाति की परंपराओं के अनुसार आवश्यक कार्य करता है तथा उसके आसपास के सभी लोग उसे हिंदू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं।

28. हिंदू धर्म एक अत्यंत जटिल धर्म प्रतीत होता है। यह उस गुड़िया की तरह है जो गुरुत्व के केंद्र के कारण कितनी भी बार गिराई जाए, फिर भी पुनः सीधी खड़ी हो जाती है। हिंदू धर्म का कोई एक संस्थापक, एक ही ग्रंथ, एक ही धार्मिक संस्था या जीवन जीने का एक ही तरीका नहीं है। हिंदू धर्म जाति व्यवस्था और उसकी श्रेणियों के समान नहीं है, यद्यपि यह व्यवस्था उसके सामाजिक ढांचे का एक भाग है, जो श्रम के विभाजन पर आधारित है। हिंदू धर्म अस्पृश्यता का उपदेश नहीं देता और न ही उसका समर्थन करता है, यद्यपि हिंदू समाज ने पहले सार्वजनिक स्वास्थ्य के कारणों से और बाद में पूर्वाग्रहों के कारण इसका पालन किया। (यह अंश स्वामी हर्षानंद की पुस्तक से आंशिक रूप से लिया गया है।)

29. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन को सिद्ध करने के लिए दो तत्वों का संतुष्ट होना आवश्यक है। पहला, वास्तविक रूप से धर्म परिवर्तन होना चाहिए और दूसरा, उस समुदाय में स्वीकार किया जाना चाहिए जिसमें व्यक्ति

ने धर्म परिवर्तन किया है। यह स्पष्ट है कि धर्म परिवर्तन की आवश्यकता को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता।

30. अपीलकर्ता ने स्वयं को आरडब्ल्यू 3 के रूप में प्रस्तुत किया। अपने मुख्य परीक्षण में उसने स्पष्ट रूप से कहा कि एक हिंदू के रूप में उसके घर में पोंगल, विनायक चतुर्थी आदि जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। उसने यह भी कहा कि जन्म से ही वह एक हिंदू के रूप में रह रही है और हिंदू रीति-रिवाजों तथा परंपराओं का पालन कर रही है और उसके रिश्तेदार भी उसे हिंदू के रूप में ही मानते हैं तथा उसके सभी रिश्तेदार हिंदू हैं। उसने यह भी कहा कि वह कभी किसी गिरजाघर नहीं गई और उसे ईसाई धर्म तथा उस प्रकार की पूजा-पद्धति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके निर्वाचन क्षेत्र में लोग उसे केवल चंद्रा के नाम से जानते थे, ग्लोरी चंद्रा के नाम से नहीं। उसने यह भी कहा कि उसने राजापालयम पंचायत संघ परिषद के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई। उसके साक्ष्य में यह भी सामने आया कि वह हिंदू धर्म में अपनी आस्था की पुनः पुष्टि करना चाहती थी और इसलिए वह मदुरै स्थित आर्य समाज गई और वहां सभी अनुष्ठान कराए जाने के बाद आर्य समाज, मदुरै ने उसे पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश का प्रमाणपत्र क्रमांक ई 56 दिनांक 27.8.1994 (प्रदर्श आर 13) जारी किया, जिसे उसके चाचा संतनकुमार ने प्राप्त किया था। यह भी उसके साक्ष्य में आया कि जब चुनाव याचिका दायर की गई, तब पूछताछ करने पर उसे बताया गया कि उसके चाचा द्वारा प्राप्त मूल प्रमाणपत्र खो गया है और इसलिए उसने उनसे उसकी प्रति प्राप्त करने का अनुरोध किया। उसके साक्ष्य में यह भी आया कि उसका विवाह हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ और उसके पति मुरुगन हैं, जो हिंदू पल्लन समुदाय से ही संबंधित हैं। वह यह दृढ़तापूर्वक कहती है कि वह हिंदू के रूप में रही है और हिंदू रीति-रिवाजों तथा परंपराओं का पालन करते हुए निरंतर हिंदू के रूप में जीवन व्यतीत कर रही है। उससे लंबी जिरह की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राममूर्ति ने हमें पूरा साक्ष्य दिखाया। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता के साक्ष्य की सत्यता को कमजोर

करने के लिए अभिलेख पर कोई महत्वपूर्ण बात प्रस्तुत नहीं की गई है और वास्तव में आर्य समाज, मदुरै द्वारा जारी धर्म परिवर्तन प्रमाणपत्र को असत्य सिद्ध करने के लिए जो भी सुझाव दिए गए, उन्हें साक्षी ने अस्वीकार कर दिया। अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि यह विधि द्वारा स्थापित है कि हिंदू धर्म में परिवर्तन के लिए किसी औपचारिक अनुष्ठान के ठोस प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। इस संबंध में हमारा ध्यान पेरुमल नादर बनाम पोन्नुस्वामी (1970) 1 एससीसी 605 में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों की ओर दिलाया गया। इसके विपरीत, उत्तरदाता 1 और 2 के वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना था कि अपीलकर्ता ने हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश के अपने दावे को मूल प्रमाण अर्थात् आर्य समाज द्वारा जारी मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके सिद्ध नहीं किया है। इस मुद्दे पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने ध्यान दिया कि अपीलकर्ता आर्य समाज, मदुरै द्वारा जारी मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रही और उसने संतनकुमार को भी साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, जिनके पास मूल प्रमाणपत्र था, तथा आर्य समाज से मूल अभिलेख भी नहीं मंगवाए गए और न ही वहां के किसी उत्तरदायी व्यक्ति को यह सिद्ध करने के लिए बुलाया गया कि अपीलकर्ता ने धर्म परिवर्तन के अनुष्ठान किए थे। इसलिए उसके द्वारा पुनः धर्म ग्रहण करने का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम उच्च न्यायालय के इस तर्क से सहमत नहीं हैं। यह सही है कि जो पक्ष किसी दस्तावेज़ की सामग्री पर निर्भर करना चाहता है, उसे सामान्यतः उसके मूल प्रमाण प्रस्तुत करने होते हैं और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही गौण प्रमाण स्वीकार किए जाते हैं। परंतु यदि गौण प्रमाण स्वीकार्य हो, तो उसे जिस भी रूप में उपलब्ध हो, प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वह प्रति हो, प्रति की प्रति हो, सामग्री के बारे में मौखिक साक्ष्य हो या कोई अन्य रूप। गौण प्रमाण को इस आधारभूत साक्ष्य से प्रमाणित किया जाना चाहिए कि प्रस्तुत प्रति वास्तव में मूल की सच्ची प्रति है। यह विशेष रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए कि मूल प्रमाण प्रस्तुत करने के नियम के अपवाद उन स्थितियों में अनुतोष देने के लिए बनाए गए हैं, जब कोई पक्ष अपनी किसी गलती के बिना

मूल प्रस्तुत करने में वास्तव में असमर्थ हो। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता का स्पष्ट कथन है कि वर्ष 1994 में, जो कि वर्ष 2006 में हुए विधानसभा चुनावों से काफी पहले का समय है, उसने केवल हिंदू आस्था की पुनः पुष्टि के उद्देश्य से आर्य समाज में सभी अनुष्ठान कराए थे और आर्य समाज द्वारा जारी धर्म परिवर्तन प्रमाणपत्र उसके चाचा संतनकुमार ने, जो उसके साथ गए थे, प्राप्त किया था। उसका यह भी स्पष्ट कथन है कि उसने वह प्रमाणपत्र अपने चाचा से वापस नहीं लिया, क्योंकि उसे लगा कि उसे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल तब, जब चुनाव याचिका दायर की गई, अपने हिंदू आस्था की पुनः पुष्टि के दावे को सिद्ध करने के लिए उसने जाना कि उसके चाचा ने वह प्रमाणपत्र खो दिया है, जिसके कारण उसे आर्य समाज, मदुरै से उसकी प्रति प्राप्त करनी पड़ी। उसके साक्ष्य के इस भाग को याचिकाकर्ता ने चुनौती तक नहीं दी। वास्तव में दस्तावेज़ों की सामग्री से यह स्पष्ट होता है कि यह प्रमाणपत्र दूसरी बार अपीलकर्ता के अनुरोध पर जारी किया गया, जब उसके चाचा ने उसे बताया कि वर्ष 1994 में उनके द्वारा प्राप्त मूल प्रमाणपत्र उनसे खो गया है। हमारे मत में धर्म परिवर्तन प्रमाणपत्र (प्रदर्श आर13) का अवलोकन यह पर्याप्त रूप से सिद्ध करता है कि अपीलकर्ता ने मदुरै स्थित आर्य समाज में धर्म परिवर्तन के अनुष्ठान कराकर हिंदू आस्था की पुनः पुष्टि के अपने दावे को सफलतापूर्वक प्रमाणित कर दिया है।

31. उच्च न्यायालय ने प्रमाण का भार अपीलकर्ता पर रखने के लिए इस न्यायालय के *सत्रुचर्ला विजया राम राजू बनाम निम्मका जया राजू तथा अन्य,* (एआईआर 2006 एससी 543) के निर्णय पर अवलंबित है। निर्णय का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:-

> "15. अपीलकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह जोरदार प्रयास किया कि उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने इस मामले में प्रमाण का भार गलत तरीके से निर्धारित किया है। हम इस बात से सहमत नहीं हो सकते। विचारण न्यायाधीश ने सही रूप से इस आधार पर कार्यवाही की कि प्रारंभिक प्रमाण का भार निर्वाचन याचिकाकर्ता पर था कि वह यह सिद्ध करे कि अपीलकर्ता अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं था।

यद्यपि किसी पूर्व कथन में अपने हित में किया गया दावा साक्ष्य नहीं माना जा सकता, परंतु अपने हित के प्रतिकूल किया गया पूर्व कथन साक्ष्य होता है। वास्तव में, यह वह सर्वोत्तम साक्ष्य होता है जिस पर विरोधी पक्ष भरोसा कर सकता है। इसलिए वर्तमान मामले में, जहां अपीलकर्ता यह दावा कर रहा है कि वह कांदा डोरा है, उसके पूर्वजों और उसके परिवार के सदस्यों, जिनमें वह स्वयं भी शामिल है, द्वारा संविधान से पूर्व और संविधान के बाद निष्पादित विभिन्न दस्तावेजों में स्वयं को 'क्षत्रिय' बताने वाले कथन, इस मामले में अपीलकर्ता के हित के विरुद्ध स्वीकारोक्ति के रूप में कार्य करेंगे। ये स्वीकारोक्तियां अपीलकर्ता के इस कथन को भी और मजबूत करती हैं कि उसके विद्यालय त्याग प्रमाणपत्र में भी उसे 'क्षत्रिय' बताया गया है और उसके पितृ पक्ष के चाचा के पुत्र को भी उसके विद्यालय त्याग प्रमाणपत्र में 'क्षत्रिय' बताया गया है तथा उस चाचा के पुत्र को भी इस संबंध में की गई जांच में 'क्षत्रिय' माना गया था। इसलिए हमारे मत में विचारण न्यायाधीश का यह निष्कर्ष सही था कि निर्वाचन याचिकाकर्ता ने अपने ऊपर डाले गए प्रारंभिक प्रमाण के भार को पूरा कर दिया था और उसके बाद यह भार अपीलकर्ता पर स्थानांतरित हो गया कि वह यह सिद्ध करे कि वह 'कांदा डोरा' जनजाति से संबंधित है।"

32. निर्णय का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर वर्तमान मामले को उससे भिन्न माना जा सकता है। जिस मामले पर उच्च न्यायालय ने अवलंबित है, उसमें एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन का प्रश्न नहीं था। वहां प्रश्न यह था कि संबंधित व्यक्ति क्षत्रिय जाति से है या अनुसूचित जनजाति से। वह प्रश्न एक ही धर्म के भीतर जाति से संबंधित था, जबकि वर्तमान मामले में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन हुआ है। इसलिए प्रमाण के भार को उलटने और उससे मुक्त करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क त्रुटिपूर्ण है और प्रमाण का भार निर्वाचन याचिकाकर्ता पर होना चाहिए कि वह यह सिद्ध करे कि अपीलकर्ता अब भी ईसाई धर्म का पालन करता

है।

33. इसलिए हम इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के निष्कर्षों के प्रति अपनी अस्वीकृति व्यक्त करते हैं।

34. अपीलकर्ता ने अपने पक्ष के समर्थन में सेंगैय्या उर्फ़ चिन्ना संगैय्या-आरडब्ल्यू4, रासु-आरडब्ल्यू 5, गोविंदन-आरडब्ल्यू6, पॉलराज-आरडब्ल्यू 7 तथा सुरुलीमुथु-आरडब्ल्यू 10 को साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया।

35. श्री सेंगैय्या (आरडब्ल्यू 4) अपीलकर्ता के ही गांव के निवासी हैं। उन्होंने यह बयान दिया कि वे अपीलकर्ता को जानते हैं क्योंकि उसका जन्म और पालन-पोषण उनके गांव में ही हुआ है। उनके साक्ष्य में यह भी आया कि अपीलकर्ता के परिवार की कुलदेवी पालिचियम्मन हैं। वह बचपन से ही गांव के मंदिरों और पास के कामाक्षियम्मन मंदिर में हिंदू देवी-देवताओं की पूजा करती रही है। उनके जाति के रीति-रिवाजों के अनुसार अपीलकर्ता के यौवन प्राप्त करने पर एक संस्कार भी किया गया था, जिसमें उनकी पत्नी ने भाग लिया था। साक्षी ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता का सगाई संस्कार भी हिंदू पल्लन समुदाय की परंपराओं के अनुसार हुआ था, जिसमें वे उपस्थित थे। हालांकि वे अपीलकर्ता के विवाह में उपस्थित नहीं हुए थे, परंतु उन्होंने आगे यह कहा कि अपीलकर्ता उनके द्वारा आयोजित कई पारिवारिक कार्यक्रमों में भाग लेती रही है। जिरह के दौरान उन्होंने यह स्वीकार किया कि संथोषपाकियम (अपीलकर्ता की माता) और नवकुमार (अपीलकर्ता के पिता) का विवाह ईसाई धर्म की रीति के अनुसार हुआ था। हमारे विचार में, इस साक्षी द्वारा किया गया यह एकमात्र स्वीकारोक्ति निर्वाचन याचिकाकर्ता के पक्ष में संतुलन को नहीं झुकाती। अपीलकर्ता का भी यह कहना है कि उसके पिता ईसाई थे और उसकी माता हिंदू थीं। संभव है कि उसके पिता के कहने पर विवाह गिरजाघर में हुआ हो। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, अपीलकर्ता ने न केवल अपने निवेदन में बल्कि अपने साक्ष्य में भी कहा है कि उसके पिता ने उसकी माता से अलगाव कर लिया था और उसकी माता हिंदू धर्म का पालन करती रहीं तथा हिंदू पल्लन

समुदाय ने उन्हें उसी रूप में स्वीकार किया।"

36. श्री रासु को आरडब्ल्यू 5 के रूप में प्रस्तुत किया गया। वे अय्यनकोल्लाकोंडन गांव में स्थित सुन्दरनाचियम्मन मंदिर के पुजारी थे। वे अपीलकर्ता के पति को जानते थे क्योंकि वे उसी गांव के निवासी थे। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उन्हें यह जानकारी थी कि विवाह के पक्षकार पहले ईसाई धर्म का पालन करते थे और बाद में हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए। उन्होंने बयान दिया कि अपीलकर्ता का विवाह उसके पति के घर के सामने हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था। विवाह के दिन अपीलकर्ता और उसके पति माला लेकर मंदिर आए और आरडब्ल्यू 5 ने देवी की पूजा करवाई। इसके बाद मालाओं की थाली वापस कर दी गई और वर-वधू अपीलकर्ता के पति के घर के पास बने विवाह मंडप की ओर गए, जहां विवाह संपन्न हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि अपीलकर्ता और उसका पति सुन्दरनाचियम्मन देवी की पूजा करते हैं। उन्होंने विवाह प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर भी किए थे, साथ ही श्री गोविंदन ने भी गांव के नट्टामै के रूप में हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने यह भी कहा कि मई 2006 में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले अपीलकर्ता और उसके पति सुन्दरनाचियम्मन मंदिर आए थे और देवी की पूजा की थी। इस साक्षी से निर्वाचन याचिकाकर्ता द्वारा जिरह की गई, परंतु उससे कोई उपयोगी बात प्राप्त नहीं हुई। इसलिए उसका साक्ष्य अप्रतिवादित रह गया।

37. श्री गोविंदन को आरडब्ल्यू 6 के रूप में प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि वे अपीलकर्ता के विवाह में उपस्थित थे। उन्होंने विवाह के दौरान किए गए अनुष्ठानों और रीति-रिवाजों का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने अपनी बेटी के यौवन प्राप्ति के संस्कार के अवसर पर अपीलकर्ता को अपने घर आमंत्रित किया था, क्योंकि वह समुदाय की सदस्य थी। यद्यपि उनसे लंबी जिरह की गई, फिर भी निर्वाचन याचिकाकर्ता उनके साक्ष्य को अविश्वसनीय सिद्ध करने वाली कोई बात प्रस्तुत नहीं कर सका।

38. श्री एस. पॉलराज को आरडब्ल्यू 7 के रूप में प्रस्तुत किया गया। अपने साक्ष्य में

उन्होंने कहा कि वे हिंदू पल्लन समुदाय से संबंधित हैं और यह भी कहा कि अपीलकर्ता भी हिंदू पल्लन समुदाय से ही संबंधित है। उन्होंने बताया कि वे अपीलकर्ता की सगाई में उपस्थित थे, जो उसके मातुल चाचा सुरुलीमुथु के घर हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार सम्पन्न हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि वे अपीलकर्ता के नए घर गए थे। उनके अनुसार राजापालयम के थेन्द्रल नगर स्थित उसके घर के प्रवेश द्वार पर दीवार में लगे एक टाइल पर भगवान विनायक का चित्र अंकित है। उसके पूजा कक्ष में भी अनेक हिंदू देवी-देवताओं के चित्र हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आरडब्ल्यू 4 सेंगैय्या अपीलकर्ता के विवाह में उपस्थित नहीं हुए थे, बल्कि उनकी पत्नी और पुत्री विवाह में गई थीं। जिरह के दौरान उनके द्वारा किया गया एकमात्र स्वीकार यह था कि संथोषपाकियम ने नवकुमार से विवाह किया था और उनका विवाह एरुमलैनाइकेनपट्टी गांव के सीएसआई विद्यालय में हुआ था। हमारे विचार में यह तथाकथित स्वीकारोक्ति निर्वाचन याचिकाकर्ता की इस बात को सिद्ध करने में सहायक नहीं है कि अपीलकर्ता ईसाई है और अब भी ईसाई आस्था का पालन कर रही है।

39. अपीलकर्ता के मामा श्री सुरुलीमुथु को आरडब्ल्यू 10 के रूप में प्रस्तुत किया गया। उन्होंने यह पुष्टि की कि अपीलकर्ता के माता-पिता का विवाह ईसाई रीति से हुआ था। उन्होंने यह भी बताया कि अपीलकर्ता के पिता ने उसे, उसकी माता और उसके दो छोटे भाइयों को छोड़कर दूसरी महिला से विवाह कर लिया था। उन्होंने यह भी कहा कि अपीलकर्ता, उसकी माता और उसके छोटे भाइयों की देखभाल उनके पिता ने की और वे उनके घर में ही रहे। उन्होंने कहा कि बचपन से ही अपीलकर्ता हिंदू धर्म का पालन करती रही, मंदिरों में जाती रही आदि। उन्होंने बताया कि उनके परिवार की कुलदेवी पालिचियम्मन हैं और समुदाय की देवी कालीअम्मन हैं। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता गांव में पालिचियम्मन, विनायगर और कामाक्षियम्मन की पूजा करती है। उन्होंने यह भी कहा कि वही अपीलकर्ता को आर्य समाज ले गए थे ताकि उसका नाम बदलकर चंद्रा किया जा सके। उन्होंने ही अय्यनकोल्लाकोंडन गांव में हिंदू पल्लन समुदाय की परंपराओं और रीति-रिवाजों

के अनुसार अपीलकर्ता का विवाह भी सम्पन्न कराया था। इस साक्षी ने जिरह के दौरान फिर से कहा कि अपीलकर्ता के माता-पिता का विवाह ईसाई रीति से हुआ था। इस साक्षी की इस स्वीकारोक्ति को अपीलकर्ता के विरुद्ध यह कहकर प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता ने अपने साक्ष्य में यह गलत कहा है कि उसके माता-पिता का विवाह हिंदू रीति से हुआ था। हमारे विचार में, जब उसके माता-पिता का विवाह हुआ था, उस समय अपीलकर्ता का जन्म भी नहीं हुआ था और वह अपनी माता के गर्भ में भी नहीं थी कि वह उस समय की बातचीत सुन पाती, जो केवल हमारी पौराणिक कथाओं में ही संभव है। उसका यह कहना कि उसने यह बात अपनी माता और रिश्तेदारों से सुनी है, और यह स्वीकारोक्ति, हमारे विचार में, उसके विरुद्ध यह सिद्ध करने के लिए प्रयोग नहीं की जा सकती कि वह कोई असत्य कथन कर रही है।

40. निर्वाचन याचिकाकर्ता ने स्वयं को अभियोजन साक्षी 1 के रूप में प्रस्तुत किया। अपने आरोपों और कथनों के समर्थन में उसने टी.पी. पॉलास्वामी-अभियोजन साक्षी2, राजैय्या-अभियोजन साक्षी3, राजेंद्रन-अभियोजन साक्षी4, श्रीमती डी. जयमनोरमा-अभियोजन साक्षी5 तथा अरुमुगन-अभियोजन साक्षी6 को साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया। टी.पी. पॉलास्वामी-अभियोजन साक्षी2 गणपति सुन्दरनाचियापुरम में एक राजनीतिक दल के गांव सचिव हैं। पॉलास्वामी ने जिरह के दौरान कहा कि अपीलकर्ता के ससुर गिरजाघर के सदस्य हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अपीलकर्ता का नाम स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि वह ईसाई धर्म को मानती है। परंतु बाद में उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से कहा, "मुझे यह नहीं पता कि प्रथम उत्तरदाता और उसके परिवार के सदस्य किस धर्म को मानते हैं। मैं आज निर्वाचन याचिकाकर्ता के कहने पर साक्षी के रूप में आया हूं।" उन्होंने यह भी कहा कि वे अपीलकर्ता की माता को नहीं जानते और कभी उसके घर नहीं गए। उन्होंने आगे कहा कि वे मुरुगन (अपीलकर्ता के पति) के घर भी कभी नहीं गए और अपीलकर्ता के ससुर को भी नहीं जानते। हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि मुरुगन सरकार के हरिजन कल्याण विभाग में कार्य

करता है। उन्होंने यह भी कहा कि वे उस गिरजाघर में कभी नहीं गए जहां मुरुगन के पिता प्रमुख थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनके पास यह सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेज़ नहीं है कि मुरुगन के पिता किसी गिरजाघर से संबंधित थे। यह ध्यान देने योग्य है कि अपने साक्ष्य में पॉलास्वामी ने यह दावा किया कि मुरुगन ईसाई है, परंतु यह भी स्वीकार किया कि उसने राजापालयम पंचायत संघ परिषद के वार्ड संख्या 3 से उपचुनाव लड़ा था, जो अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित था और वह सीट मुरुगन के त्यागपत्र देने पर रिक्त हुई थी। यह हमारे लिए स्पष्ट नहीं है कि यदि वह ईसाई था, जैसा कि पॉलास्वामी कहते हैं, तो वह उस सीट से चुनाव कैसे लड़ सका जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। यह उसके साक्ष्य में स्पष्ट विरोधाभास है। उन्होंने अपने बयान में यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि वे इस बात से असंतुष्ट थे कि दूसरे उत्तरदाता चुनाव में हार गए।"

41. राजैय्या-अभियोजन साक्षी 3 ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया कि वह एक राजनीतिक दल का सदस्य है। उसने कहा कि अपीलकर्ता ने ग्लोरी चंद्रा नाम से चुनाव लड़ा था। उसने यह भी कहा कि अपीलकर्ता के पति का नाम सूसाइमणिक्कम है और उसे अपीलकर्ता के विवाह में आमंत्रित किया गया था। वह स्वागत समारोह में गया था, जो उसके अनुसार अपीलकर्ता के पति के घर के पास एक गिरजाघर में हुआ था। पहले उसने कहा कि अपीलकर्ता के ससुर गिरजाघर के 'नट्टामै' (गांव प्रमुख) थे और बाद में उसने यह कहा कि उसे ठीक-ठीक यह नहीं पता कि अपीलकर्ता का विवाह किस धार्मिक रीति के अनुसार हुआ था। उसके अनुसार अपीलकर्ता की माता का नाम श्रीमती बैक्कम है, जो ईसाई पल्लन हैं, परंतु उसने यह भी कहा कि उसने ऐसा कोई प्रमाणपत्र नहीं देखा है जिससे यह सिद्ध हो कि वह ईसाई हैं। अपीलकर्ता के उसके गांव में विवाह के लिए आने से पहले उसे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उससे पहले उसे न तो उसकी पढ़ाई के बारे में और न ही उसके रहने के स्थान या जीवन-यापन के तरीके के बारे में कोई जानकारी थी, और न ही उसके माता-पिता के बारे में। उसके पास यह सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि अपीलकर्ता

ईसाई धर्म का पालन करती है। उसने आगे कहा कि उस क्षेत्र में हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में और ईसाई धर्म से हिंदू धर्म में परिवर्तन अक्सर होता रहता है। उसने यह भी कहा कि उसे नवकुमार (अपीलकर्ता के पिता) के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है।

42. निर्वाचन याचिकाकर्ता द्वारा जिस एक अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य का सहारा लिया गया, वह वर्ष 1997 का बच्चों के जन्म का अभिलेख है, जिसमें बच्चे के पिता का नाम सूसाइमणिक्कम और माता का नाम ग्लोरी दर्ज है तथा धर्म के स्थान पर ईसाई धर्म अंकित है। सभी संबंधित प्रविष्टियां प्रदर्श पी10 में सूचीबद्ध हैं। अपने साक्ष्य में श्री एम.के. राजेंद्रन, अभियोजन साक्षी4, उपतहसीलदार, पेरियाकुलम, थेनी जिला, ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रदर्श पी10 अभिलेख में की गई कोई भी प्रविष्टि माता-पिता द्वारा जन्म की सूचना देने पर दर्ज नहीं की गई थी। यह साक्षी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथन है, क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि संभवतः बहुत से लोगों को अपीलकर्ता और उसके पति के धर्म परिवर्तन के बारे में जानकारी नहीं थी। यह प्रविष्टि उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा विश्वसनीय रूप से स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि यह मुख्यतः सुनी-सुनाई जानकारी पर आधारित है, इस कारण कि बच्चे के जन्म की सूचना स्वयं माता-पिता ने नहीं दी थी। वर्तमान मामले में बच्चे के जन्म की सूचना गांव की प्रमुख नर्स द्वारा दी गई थी। उसने यह भी कहा कि वह न तो सूसाइमणिक्कम को जानती है और न ही ग्लोरी को।

43. अब हम श्री एस. अरुमुगन, अभियोजन साक्षी6 के बयान पर आते हैं, जो वर्तमान में राजापालयम में तहसीलदार के रूप में कार्यरत हैं। उनके बयान के अनुसार, अपीलकर्ता के पति ने 27.3.1997 दिनांकित आवेदन (प्रदर्श पी 13) के माध्यम से स्थायी जाति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया था, जो आदि द्रविड़ कल्याण विभाग को संबोधित था। यह आवेदन तहसीलदार कार्यालय को 2.4.1997 को प्राप्त हुआ था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें प्रदर्श पी 13 प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय वे किसी अन्य स्थान पर कनिष्ठ सहायक के रूप में कार्यरत थे। उक्त आवेदन के पीछे ग्राम प्रशासनिक अधिकारी,

अय्यनकोल्लकोंडन के राजस्व निरीक्षक तथा राजापालयम के तहसीलदार की लिखित टिप्पणियां अंकित हैं। इन सभी टिप्पणियों में यह लिखा है कि अपीलकर्ता “हिंदू पल्लन” पिछड़े वर्ग से संबंधित है। ग्राम प्रशासनिक अधिकारी ने साक्षियों के बयान दर्ज किए थे, जिन्हें उनके द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया था। उत्तरदाता संख्या 1 ने जाति प्रमाणपत्र दिए जाने की प्रक्रिया में कुछ विसंगतियों की ओर संकेत किया है। यह कहा गया कि राजापालयम के तहसीलदार ने उपतहसीलदार द्वारा की गई उस टिप्पणी पर हस्ताक्षर नहीं किए, जिसमें उन्होंने अय्यनकोल्लकोंडन के राजस्व निरीक्षक से अपीलकर्ता की जाति के संबंध में प्रमाण मांगा था। बाद में अपीलकर्ता की जाति के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में उस समय के तहसीलदार, राजापालयम तथा ग्राम प्रशासनिक अधिकारी को साक्षी के रूप में बुलाना उचित होता। निर्वाचन याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि प्रमाणपत्र 4.4.1997 को, आवेदन प्राप्त होने के मात्र 2 दिन के भीतर जारी कर दिया गया, जिससे उसकी सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है। वर्तमान तहसीलदार के बयान के अनुसार, जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। ऐसी स्थिति में यह स्थापित करना कठिन हो जाता है कि प्रमाणपत्र जारी करने में कोई विसंगति हुई है या नहीं। आवेदन पर प्रमाणपत्र निरस्तीकरण की कोई टिप्पणी भी अंकित नहीं थी। निर्वाचन याचिकाकर्ता ने साक्ष्य के माध्यम से या संबंधित अधिकारियों से पूछताछ करके यह अभिलेख पर नहीं लाया कि राजस्व अधिकारियों द्वारा टिप्पणी किए जाने से पहले कोई उचित जांच की गई थी या नहीं।

44. श्री वी.पी. रंजन-आरडब्ल्यू1 (मूल उत्तरदाता संख्या 2) को भी साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया। वह भी प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल के सदस्य हैं। उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन देकर वर्ष 1999 के लिए अंडीपट्टी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची की प्रति प्राप्त की थी। प्रदर्श आर1 में क्रमांक 865 पर मतदाता का नाम “ग्लोरी चंद्रा” के रूप में दर्ज है। इस तथ्य का उल्लेख उत्तरदाता द्वारा इस रूप में किया गया

कि यह इस बात का निश्चित प्रमाण है कि अपीलकर्ता अब भी ईसाई धर्म को मानती है। परंतु उनकी अपनी स्वीकारोक्ति के अनुसार प्रदर्श आर1 में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि अपीलकर्ता ईसाई है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अपने प्रत्युत्तर में यह नहीं नकारा है कि अपीलकर्ता का विवाह हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने कहीं यह नहीं कहा कि अपीलकर्ता का विवाह ईसाई रीति से हुआ था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें अपीलकर्ता और उसके पति के मित्रों या परिवार के बारे में अधिक जानकारी नहीं है।

45. हम के.वी. बालासुब्रमणियम (आर.डब्ल्यू 2) की गवाही पर आते हैं, जो भारत संचार निगम लिमिटेड, विरुधुनगर दूरसंचार जिला के महाप्रबंधक हैं। निर्वाचन याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलकर्ता के पति द्वारा किए गए दूरभाष संयोजन के आवेदन में उनका नाम सूसैमनिक्कम दर्शाया गया था। यह आवेदन 27.4.1998 को किया गया था। आवेदन पर न तो कोई नाम और न ही कोई छायाचित्र संलग्न था। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आर.डब्ल्यू 2 के कथन के अनुसार, आवेदन में आवेदक के धर्म या जाति को दर्शाने के लिए कोई कॉलम नहीं है। साथ ही, उन्होंने आवेदक को प्रपत्र पर हस्ताक्षर करते हुए नहीं देखा। जैसा कि उन्होंने स्पष्ट किया, ऐसा कोई नियम नहीं है कि केवल संपत्ति का स्वामी ही दूरभाष संयोजन के लिए आवेदन कर सकता है। यहां तक कि किरायेदार भी दूरभाष संयोजन के लिए आवेदन कर सकता है।

इसलिए यह संभव है कि अपीलकर्ता के पति की ओर से कोई व्यक्ति आवेदन भरने के लिए आया हो। इसके विरुद्ध कोई रोक नहीं है क्योंकि नया दूरभाष संयोजन दर्ज कराने के लिए ग्राहक सेवा केंद्र आम जनता के लिए खुला रहता है।

46. दोनों पक्षों के साक्षियों के बयान का अवलोकन करने के बाद निम्नलिखित प्रासंगिक बिंदु सामने आते हैं।

47. निर्वाचन याचिकाकर्ता का यह कथन है कि अपीलकर्ता के माता-पिता ईसाई हैं

और उनका विवाह ईसाइयों द्वारा अपनाई जाने वाली परंपराओं के अनुसार गिरजाघर में संपन्न हुआ था। इस कथन का अपीलकर्ता ने अपने प्रत्युत्तर कथन तथा साक्ष्य में खंडन किया है। उसने यह स्वीकार किया है कि उसके पिता नवकुमार ईसाई थे, परंतु उसकी माता जीवनभर हिन्दू रहीं और उसके माता-पिता का विवाह हिन्दू पल्लन समुदाय में प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था। यह सत्य है कि दायर प्रत्युत्तर कथन में उसने कहा है कि यद्यपि वह हिन्दू पल्लन समुदाय में प्रचलित हिन्दू रीति-रिवाज, परंपराएँ, अनुष्ठान तथा अन्य प्रथाओं का पालन करती रही, फिर भी हिन्दू धर्म में अपने विश्वास की पुनः पुष्टि करने के लिए उसने 27.08.1994 को मदुरै के आर्य समाज में विभिन्न संस्कारों का पालन किया। इसके अतिरिक्त उसने यह भी कहा है कि उसके पति मुरुगन ने 1975 में हिन्दू धर्म अपना लिया था और उनका विवाह 1995 में हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ। हमें प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता द्वारा अपने धर्म में विश्वास की पुनः पुष्टि के लिए आर्य समाज में संस्कारों से गुजरने का जो सत्य और स्पष्ट कथन किया गया, उसी ने उसके विरुद्ध प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न कर दिया और इसी कारण पक्षकारों के बीच विवाद का निर्णय करने वाले माननीय न्यायाधीश ने प्रमाण का भार स्थानांतरित कर दिया। हमारे मत में, प्रस्तुत कथनों और उनके समर्थन में दिए गए साक्ष्यों को संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए और पंक्तियों के बीच अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण अपनाकर ऐसे उम्मीदवार के विरुद्ध निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र के अधिकांश लोगों का समर्थन प्राप्त है। ऐसा दृष्टिकोण, हमारे विचार में, संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को ही विफल कर देगा। इस प्रकार की अत्यधिक तकनीकी पद्धति से बचना चाहिए और इस प्रकार के मामलों का निर्णय करते समय वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। हम यह भी स्पष्ट कर दें कि जब कोई निर्वाचन याचिका भ्रष्टाचार या किसी विशेष धर्म के आधार पर लोगों को उकसाने जैसे आरोपों पर दायर की जाती है, तब ऐसा दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक नहीं होता। वर्तमान मामले में केवल इस कारण कि अपीलकर्ता ने अपने प्रत्युत्तर हलफनामे में यह कहा कि

1994 में मदुरै के आर्य समाज में आवश्यक संस्कारों का पालन करने के बाद उसने ईसाई धर्म अपनाया, माननीय न्यायाधीश ने पक्षकारों के बीच विवाद का निर्णय करते समय प्रमाण का भार अपीलकर्ता पर डाल दिया कि वह यह सिद्ध करे कि वह ईसाई नहीं है, बल्कि हिन्दू धर्म का पालन करने वाली है और समुदाय ने उसे हिन्दू पल्लन समुदाय से संबंधित व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया है। माननीय न्यायाधीश का यह तर्क स्थापित विधिक सिद्धांतों के विपरीत है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि निर्वाचन याचिका में प्रमाण का भार उस व्यक्ति पर होता है जो यह आरोप लगाता है कि बहुसंख्यक मतदाताओं के समर्थन से निर्वाचित व्यक्ति फिर भी राज्य विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व करने योग्य नहीं है। हम पुनः स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ता स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि उसके पिता नवकुमार ईसाई हैं, परंतु उसकी माता, जो उनसे अलग रहती थीं, ने कभी ईसाई धर्म का पालन नहीं किया और विवाह के बाद भी हिन्दू धर्म का पालन करती रहीं। निर्वाचन याचिकाकर्ता अपीलकर्ता तथा उसके साक्षियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का खंडन करने के लिए कोई स्वीकार्य प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका। अतः माता-पिता के संबंध का वह प्रश्न, जिसे इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि अपीलकर्ता ईसाई है और उसी रूप में पली-बढ़ी है, स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में इस न्यायालय के निर्णय कैलाश शंकर बनाम मायादेवी [(1984) 2 91] का उल्लेख किया जा सकता है।

> "32. एक अन्य पहलू जिसे भूलना नहीं चाहिए यह है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका कोई धर्म नहीं होता और न ही वह तब तक किसी धर्म का चयन करने में सक्षम होता है जब तक वह समझ की आयु तक पहुँचकर परिस्थितियों की उचित समझ प्राप्त न कर ले। इसलिए केवल इस तथ्य से कि बच्चे के माता-पिता ईसाई थे और सामान्य रूप से उन्होंने बपतिस्मा प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया तथा अन्य अनुष्ठान संपन्न कर दिए, जिनके बारे में बच्चे को कोई जानकारी नहीं थी, यह नहीं माना जा सकता कि जब बच्चा बड़ा होकर पूर्णतः परिपक्व हो जाए और अपने भविष्य का निर्णय करने में सक्षम हो जाए, तो वह अपने माता-पिता द्वारा किए गए कार्यों से बंधा रहेगा। अतः ऐसे मामलों में धर्म परिवर्तन करने वाले

व्यक्ति की मंशा ही जाति के पुनर्जीवन का निर्धारण करती है। यदि वह अपने स्पष्ट और निर्णायक आचरण से अपने पुराने धर्म में पुनः लौट आता है और नए धर्म का स्पष्ट रूप से त्याग कर देता है, तो उसकी जाति स्वतः ही पुनर्जीवित हो जाती है।

33. ईसाई धर्म से अपने पुराने धर्म में लौटने वाले व्यक्ति की जाति के पुनर्जीवन को निर्धारित करने वाला एक अन्य प्रमुख कारक यह होगा कि राज्य विधानसभाओं या संसद के चुनावों के मामलों में, जहाँ राष्ट्रपति के आदेश के अंतर्गत कोई विशेष निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य के लिए आरक्षित होता है और मतदाता उसे बहुमत से अपना समर्थन देते हैं, तो यह निस्संदेह इस बात का स्पष्ट प्रमाण होगा कि उसके समुदाय ने उसे पुनः अपने मूल समूह में स्वीकार कर लिया है और इससे उस उम्मीदवार की मूल जाति, जिससे वह संबंधित था, का पुनर्जीवन हो जाता है।

48. एक अन्य छोटा मुद्दा जो तर्क के रूप में उठाया गया था, वह यह था कि विद्यालय अभिलेखों में यह दर्ज है कि अपीलकर्ता भारतीय ईसाई पल्लन समुदाय से संबंधित है और उसने सी.एस.आई विद्यालय, बाल्टागुंडु में अध्ययन किया, लेकिन नामांकन पत्रों के साथ दायर घोषणा में यह उल्लेख किया गया है कि उसने राजकीय उच्च विद्यालय, देवथाननपट्टी में अध्ययन किया था और इस कारण उसने गलत घोषणा की तथा इसलिए वह आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थी। अपीलकर्ता ने अपने प्रत्युत्तर हलफनामे और अपने साक्ष्य में यह स्पष्ट किया है कि घोषणा प्रपत्र में यह असंगति उसके भाई द्वारा भरे जाने के कारण हुई, जो नामांकन पत्र दाखिल करने में उसकी सहायता कर रहा था। हमने निर्वाचन याचिकाकर्ता के पक्ष और अपीलकर्ता के साक्ष्य का अवलोकन किया है। हमारे मत में, निर्वाचन याचिकाकर्ता द्वारा बताई गई इस असंगति का अपीलकर्ता ने उचित रूप से स्पष्टीकरण दे दिया है और हमारे विचार में केवल इसी आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थी।

49. जहाँ तक अपीलकर्ता को सामुदायिक प्रमाणपत्र जारी किए जाने का संबंध है, हमारे मत में अभियोजन साक्षी6 का साक्ष्य स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि सामुदायिक

प्रमाणपत्र जारी करते समय विधि के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था। हमारे विचार से उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता पर संदेह करते हुए अभियोजन साक्षी6 के साक्ष्य का सही प्रकार से मूल्यांकन नहीं किया। इसलिए हम इस विषय पर उच्च न्यायालय के तर्क को स्वीकार नहीं करते। हम यह भी जोड़ना चाहते हैं कि इस अपील में उत्तरदाता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में की गई कुछ टिप्पणियों पर अवलंबित, जिनमें *कुमारी माधुरी पाटिल बनाम अपर आयुक्त, जनजातीय विकास औरअन्य* (1994) 6 241; *भारतीय बैंक के महाप्रबंधक बनाम आर. रानी औरअन्य (2007) 12 796; आर. पलानीमुथु बनाम पीठासीन पदाधिकारी औरअन्य* (1984) पूरक *77; जॉन वालियामट्टोम औरअन्य बनाम भारत संघ* (2003) 6 611; *मीरा कंवरिया बनाम सुनीता औरअन्य* (2006) 1 344; *स्वागिगर दोस बनाम क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम (उपरोक्त); देश राज बनाम बोध राज* (2008) 2 186 शामिल हैं। हमारे विचार में ये निर्णय इस न्यायालय द्वारा पूर्णतः भिन्न संदर्भों में दिए गए थे। उन मामलों के तथ्यों और उनमें प्रतिपादित विधि का उल्लेख करना, हमारे मत में, इस निर्णय में अनावश्यक रूप से कुछ और पृष्ठ जोड़ने के समान होगा। इसलिए हम ऐसा करने से विरत रहते हैं।

50. जन्म अभिलेख, दूरभाष आवेदन और मतदाता सूची में की गई प्रविष्टियों पर आधारित होना यह सिद्ध करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता कि अपीलकर्ता ईसाई धर्म का पालन करती है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, ये अभिलेख अपीलकर्ता या उसके पति के अतिरिक्त अन्य लोगों द्वारा भी बनाए गए हो सकते हैं। जहाँ तक जन्म पंजिका का संबंध है, यह स्पष्ट है कि जन्म की सूचना माता-पिता ने नहीं, बल्कि ग्राम की प्रधान परिचारिका ने दी थी। इसी प्रकार यह भी संभव है कि धर्म परिवर्तन के बाद अपीलकर्ता ने मतदाता सूची में दर्ज अपना नाम बदलवाने के लिए आगे कोई कदम न उठाया हो। साथ ही, मतदाता सूची में यह भी उल्लेख नहीं है कि अपीलकर्ता कौन सा धर्म मानती है। एक सामान्य प्रवृत्ति यह भी

सामने आती है कि निर्वाचन याचिकाकर्ता के सभी साक्षी तथा मूल उत्तरदाता संख्या 2 किसी न किसी रूप में प्रतिद्वंद्वी दल डीएमके से जुड़े हुए हैं, जबकि अपीलकर्ता एआईएडीएमके दल का प्रतिनिधित्व करती थी। निर्वाचन याचिकाकर्ता ने यह सिद्ध करने के लिए कि अपीलकर्ता अब भी ईसाई धर्म का पालन करती है, श्रीमती देवथाई, टी.पी. पॉलासामी और राजैया के साक्ष्य पर अत्यधिक अवलंबित है। परंतु इन तीनों साक्षियों के बयान अत्यधिक विरोधाभासी और सुनी-सुनाई बातों पर आधारित हैं। तीनों साक्षियों को अपीलकर्ता और उसके पति के धर्म के बारे में अन्य लोगों से जानकारी मिली थी। यह स्वीकार किया गया है कि उनमें से कोई भी अपीलकर्ता, उसके पति या उनके परिवारों के साथ किसी प्रकार के निकट संपर्क में नहीं रहा। उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया कि अपीलकर्ता ईसाई धर्म का पालन करती है।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत याचिका की आवश्यकताएँ :

51. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 83 चुनाव याचिका की विषयवस्तु से संबंधित है। अधिनियम की धारा 83 (1) इस प्रकार है:-

"एक चुनाव याचिकाः-

(क) इसमें उन महत्वपूर्ण तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए जिन पर याचिकाकर्ता निर्भर करता है;

(ख) याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए किसी भी भ्रष्ट आचरण का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसमें ऐसे आचरण करने वाले व्यक्तियों के नाम तथा प्रत्येक ऐसे आचरण के किए जाने की तिथि और स्थान का यथासंभव पूर्ण विवरण शामिल हो; और

(ग) याचिका याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगी और दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 में कथनों के सत्यापन के लिए निर्धारित विधि के अनुसार सत्यापित की जाएगी।

52. यह एक स्थापित विधिक स्थिति है कि एक चुनाव याचिका में उन सभी

महत्वपूर्ण तथ्यों को स्पष्ट और बिना किसी अस्पष्टता के प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिन पर याचिकाकर्ता विचारण के दौरान निर्भर रहने वाला है, और इसमें परिस्थितियों का स्पष्ट तथा पूर्ण चित्र प्रस्तुत होना चाहिए तथा एक निश्चित कारण-कार्यवाही का खुलासा होना चाहिए। उपर्युक्त बातों के अभाव में चुनाव याचिका को संक्षेप में खारिज किया जा सकता है। यह देखने के लिए कि क्या महत्वपूर्ण तथ्य विधिवत रूप से प्रस्तुत किए गए हैं या क्या कोई कारण-कार्यवाही उत्पन्न होती है, हमें पक्षकार द्वारा किए गए कथनों और प्रस्तुत किए गए निवेदनों का अवलोकन करना आवश्यक है।

53. *वी. एस. अचुतानंदन बनाम पी. जे. फ्रांसिस* [(1999) 2 99] के मामले में यह कहा गया कि महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत न करना चुनाव याचिका के लिए घातक है और चुनाव याचिका दायर करने के लिए निर्धारित समय-सीमा के बाद ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को जोड़ने के लिए कथनों में कोई संशोधन स्वीकार्य नहीं है।

54. कोई भी व्यक्ति तुच्छ आधारों पर चुनाव याचिका दायर नहीं कर सकता। प्रस्तुत किए गए तथ्य स्पष्ट, संक्षिप्त और निर्विवाद होने चाहिए। उपर्युक्त सभी मामले और प्रावधान यद्यपि सीधे तौर पर इस मामले के मुद्दों से संबंधित नहीं हैं, फिर भी वे इस बात पर जोर देते हैं कि चुनाव परिणाम, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। किसी चुनाव परिणाम को निरस्त करने के लिए यह सिद्ध करने हेतु ठोस प्रमाण होना आवश्यक है कि चुनाव में अवैधता हुई है। इसका स्वाभाविक निष्कर्ष यह है कि जो व्यक्ति चुनाव याचिका दायर करता है, उसके पास यह सिद्ध करने के लिए स्पष्ट और निश्चित मामला होना चाहिए कि चुनाव अवैध था। इसलिए प्रमाण का भार चुनाव याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता पर ही होगा।

55. भ्रष्ट आचरण के आधार पर निर्वाचित प्रत्याशी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली एक चुनाव याचिका आपराधिक कार्यवाही नहीं है; परंतु न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण के संबंध में यह आपराधिक कार्यवाही से कम भी नहीं है [देखें

जे. चंद्रशेखर राव बनाम वी. जगपति राव, 1993 सप्ली. (2) 229]। यद्यपि वर्तमान मामले में आरोप भ्रष्ट आचरण के नहीं हैं, फिर भी वे गंभीरता के संदर्भ में किसी प्रकार से कम नहीं हैं; अतः चुनाव याचिकाकर्ता पर यह भार है कि वह अपने लगाए गए आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता बनाए रखी जा सके।

56. निर्वाचन याचिकाकर्ता के साक्षियों की गवाही साक्ष्य अधिनियम में निर्धारित उस कसौटी पर खरी नहीं उतरती जिससे उसे ग्राह्य साक्ष्य माना जा सके। यह किसी प्रकार का विश्वास उत्पन्न नहीं करती। यह साक्ष्य स्पष्ट रूप से सुनी-सुनाई बातों पर आधारित है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, उच्च न्यायालय की राय मुख्य रूप से इस आधार पर निर्भर है कि प्रमाण का भार पूरा कर दिया गया था और उसे अपीलकर्ता पर स्थानांतरित कर दिया गया कि वह यह सिद्ध करे कि उसने वास्तव में ईसाई धर्म का त्याग कर दिया है। हम इस प्रकार की सोच को अपनाने के लिए उच्च न्यायालय के तर्क से सहमत नहीं हैं। प्रमाण का भार स्पष्ट रूप से निर्वाचन याचिकाकर्ता पर ही था कि वह यह दिखाए कि अपीलकर्ता वास्तव में ईसाई धर्म का पालन और स्वीकार करती थी। किसी भी स्थिति में, अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सुसंगत और विश्वसनीय है क्योंकि वह उन व्यक्तियों की गवाही पर आधारित है जिन्होंने वास्तव में अपीलकर्ता के घर का दौरा किया था या उसके विवाह में सम्मिलित हुए थे अथवा उसके और उसके पति के परिवार के निकट संपर्क में रहे थे।

57. एक क्षण के लिए यह मान भी लिया जाए कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाण का भार अपीलकर्ता पर स्थानांतरित करना उचित था, तब भी हमारे मत में अपीलकर्ता ने ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके उस भार का निर्वहन कर दिया है। अपीलकर्ता की गवाही उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुरूप और सुसंगत है। श्री सेंगैया (आरडब्ल्यू 4) और एस. पॉलराज (आरडब्ल्यू 7) की गवाही भी अपीलकर्ता द्वारा बताए गए तथ्यों का समर्थन करती है। यह तथ्य कि अपीलकर्ता राजापालयम के मयूरारथस्वामी मंदिर की न्यासी

थी, श्री पी. मगेष (आरडब्ल्यू 8) और श्री के. परमशिवम (आरडब्ल्यू 9) की गवाही से समर्थित है। यद्यपि अपीलकर्ता ने मूल धर्म परिवर्तन प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया, फिर भी उसके द्वारा प्रस्तुत प्रति पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का युक्तिसंगत खंडन करने में असफल रहा है और अपने मामले को सिद्ध नहीं कर पाया है।

सामुदायिक प्रमाणपत्र और साक्ष्य अधिनियम की वैधताः

58. अभिलेखों में ऐसा कुछ भी उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि सामुदायिक प्रमाणपत्र अवैध रूप से या निर्धारित वैध प्रक्रिया के विरुद्ध जारी किया गया था। निर्वाचन याचिकाकर्ता को चाहिए था कि प्रमाणपत्र जारी करते समय प्रभारी अधिकारी का परीक्षण कर कथित अनियमितताओं को सामने लाता। सामुदायिक प्रमाणपत्र के निर्गमन की वैधता का अनुमान तब तक बना रहता है जब तक कि उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा इसके विपरीत सिद्ध न किया जाए, जो वह स्पष्ट रूप से करने में असफल रहा है। यह भी आश्चर्यजनक है कि आर्य समाज से प्राप्त धर्म परिवर्तन प्रमाणपत्र की विस्तृत जांच उत्तरदाताओं द्वारा नहीं की गई, जबकि उच्च न्यायालय ने इस संबंध में गंभीर टिप्पणी की थी। यह दिखाने के लिए न तो कोई दस्तावेजी प्रमाण और न ही मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया कि प्रमाणपत्र किस प्रकार दिया गया और कौन-सी प्रक्रिया अपनाई गई। यह उल्लेखनीय है कि 2006 में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव के लिए अपीलकर्ता द्वारा नामांकन दाखिल किए जाने पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई थी। सभी मुद्दे अपीलकर्ता के राजापालयम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतने के बाद ही उठाए गए। जैसा कि उच्च न्यायालय ने भी इंगित किया है, धार्मिक संस्थाओं और संगठनों को दिए गए योगदानों को अधिक महत्व देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उनमें उस विशेष समुदाय के बाहर के लोगों के लिए भी सहभागिता खुली रहती है। अतः इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों और इस संबंध में हमारे द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर निर्वाचन याचिकाकर्ता यह निर्णायक रूप से सिद्ध करने में असफल

रहा है कि अपीलकर्ता ईसाई धर्म का पालन करती है। प्रस्तुत साक्ष्य परस्पर विरोधाभासी हैं और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की भावना से प्रेरित प्रतीत होते हैं।

59. इन निष्कर्षों के आलोक में, हमें अन्य मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

60. परिणामस्वरूप हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को अपास्त करते हैं। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

डी.जी. अपील स्वीकार की जाती है।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।